# सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा पर नीति

**1. परिचय:**

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है. एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं, जो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं एवं राष्ट्रीय आय एवं धन के अधिक समान वितरण का आश्वासन देते हैं. एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है.

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी 'राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 29-05-2015 के माध्यम से "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ढांचा" को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

1.2.1 एमएसएमई खातों में दबाव को दूर करने के लिए एक सरल एवं तेज तंत्र प्रदान करना.

तथा

1.2.2 एमएसएमई के प्रचार एवं विकास को सुविधाजनक बनाना.

1.3 उपरोक्त ढांचे को "आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान" पर मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुकूल बनाने के लिए, आरबीआई ने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से इसमें कुछ बदलाव किए हैं. परिचालन निर्देशों के साथ संशोधित फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा अपने परिपत्र संख्या: एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 दिनांक 17-03-2016 के माध्यम से परिचालित किया गया है.

1.4 संशोधित ढांचा रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनर्वास पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या: आरपीसीडी.सीओ.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.40/06.02.31/2012-2013 दिनांक 01-11-2012 के माध्यम से आरबीआई के उक्त परिपत्र में उल्लिखित संभावित रूप से व्यवहार्य इकाइयों के पुनर्वास और एकमुश्त निपटान के लिए राहत और रियायतों से संबंधित निर्देशों को छोड़कर पहले के दिशानिर्देशों का स्थान लेता है.

**2 कार्य क्षेत्र**

**2.1** इस ढांचा के तहत निर्धारित प्रावधान एमएसएमई पर लागू होंगे जिनकी ऋण सीमा (कुल एक्सपोजर) रु. 25 करोड़ तक है, जिसमें कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (एमबीए) के तहत खाते शामिल हैं.

**2.2** रु. 25 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले ऋण खातों का पुनर्गठन अब से बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे.

**2.3** दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर आरबीआई के परिपत्र के संदर्भ में संदर्भ संख्या. आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19

दिनांक **07.06.2019** के माध्यम से खंड I(बी) (संकल्प योजना का कार्यान्वयन), I(सी) (संकल्प योजना के कार्यान्वयन की शर्तें) और I(डी) (संकल्प योजना का विलंबित कार्यान्वयन) इस ढांचे के तहत एमएसएमई के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास पर लागू नहीं होंगे.

**2.4** यह नीति सभी प्रकार के एमएसएमई ग्राहकों को कवर करेगी जैसे कि व्यक्ति, स्वामित्व, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी, व्यक्तियों का संघ, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां आदि.

**2.5** इन नीतियों से कोई अपवाद या विचलन एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा, जो ऐसे मामलों को अनुमोदन के लिए केंद्रीय कार्यालय में क्रेडिट अनुमोदन समिति (सीएसी-II एवं ऊपर) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

**2.6 स्वामित्व**

2.6.1 एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय निदेशक मंडल के अनुमोदन से, बैंक में एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के संबंध में सभी नीतियों/प्रक्रियाओं की रूपरेखा, डिजाइन/समीक्षा/फाइन ट्यून/संशोधन करेगा.

**2.7 अनुपालन**

2.7.1 यह नीति अब तक जारी सभी आरबीआई एवं मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है. इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देश **सभी घरेलू शाखाओं एवं इसके परिचालन के लिए** लागू हैं.

2.7.2 सभी कार्यात्मक प्रभागों से इस नीति में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. इस नीति को सामग्री के किसी भी पहलू की प्रयोज्यता के बारे में किसी भी संदेह की स्थिति में, एमएसएमई विभाग, केंद्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण/अनुमोदन मांगा जाएगा.

**2.8 संशोधन और समीक्षा**

2.8.1 यह नीति जारी होने की तारीख से 31 मार्च, 2024 तक वैध रहेगी एवं इसे प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक नवीनीकृत किया जाना चाहिए. इस नीति की निरंतरता को एमडी और सीईओ के विशिष्ट अनुमोदन से 3 महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

2.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/सलाह, जो निदेशक मंडल की रिपोर्टिंग और अनुमोदन के अधीन है, के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों/निर्देशों/अनुदेशों में कोई भी परिवर्तन की स्थिति में इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित भी किया जाएगा. वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए, अल्प सूचना पर कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है. इस नीति में ऐसे संशोधनों के अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

2.8.3 बदलती अर्थव्यवस्था/पर्यावरणीय मांगों को अपनाने और एमएसएमई ग्राहकों से संबंधित बैंक की ऋण रणनीति में किसी भी बदलाव को शामिल करने/कार्यान्वयन करने के लिए इस नीति की समय-समय पर वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा/संशोधन किया जाएगा.

2.8.4 इस नीति के दिशानिर्देश और प्रावधान पैराग्राफ 1.3 में निर्दिष्ट आरबीआई परिपत्र के अनुरूप हैं. हालांकि, समय-समय पर आरबीआई द्वारा किए गए परिवर्तन लागू होंगे और इस नीति के मौजूदा प्रावधानों पर प्रभाव डालेंगे.

**2.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा**

| **खंड** | **वर्गीकरण के आधार पर** |
|---|---|
| सूक्ष्म उद्यम | जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश **एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.** |
| लघु उद्यम | जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश **दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.** |
| मध्यम उद्यम | जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश **पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कुल कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.** |

बैंक द्वारा संशोधित एमएसएमई परिभाषा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

**3 एमएसएमई का पुनरुद्धार और पुनर्वास - (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और आंतरिक दिशानिर्देश)**

3.1 **प्रारंभिक दवाब की पहचान**

3.1.1 **बैंकों या लेनदारों द्वारा पहचान:**

3.1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदलने से पूर्व, निम्नलिखित तालिका के अनुसार विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियां बनाकर पहचाना जाना है.

| **एसएमए उप-श्रेणियां** | **वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय के बीच** |
|---|---|
| एसएमए-0 | 1-30 दिन |
| एसएमए-1 | 31-60 दिन |
| एसएमए -2 | 61-90 दिन |

परिक्रामी ऋण सुविधाओं जैसे नकद ऋण के मामले में, एसएमए उप-श्रेणियाँ निम्नानुसार होंगी-

| **एसएमए उप-श्रेणियां** | **वर्गीकरण के लिए आधार** |
|---|---|
| एसएमए-1 | 31-60 दिनों के बीच मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय |
| एसएमए -2 | 61-90 दिनों के बीच मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय |

**'डिफॉल्ट'** का अर्थ ऋण का भुगतान न करना है (जैसा कि आईबीसी के तहत परिभाषित किया गया है) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गया हो और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो.

नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, डिफॉल्ट का अर्थ यह भी होगा कि, उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बकाया राशि स्वीकृत सीमा से अधिक या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से 30 दिनों से अधिक के लिए लगातार बनी रहे.

3.1.1.2 उपरोक्त संकेतों के आधार पर, खाते को बनाए रखने वाली शाखा को रु. 10 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले तनावग्रस्त खातों को, पैरा 3.2.3 में संदर्भ के अनुसार, एक उपयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के लिए, **पांच कार्य दिवसों के भीतर,** समिति को अग्रेषित करने पर विचार करना चाहिए. ऐसे मामलों में जहां खाता एसएमए-2 श्रेणी में है, शाखा के लिए इसे उपयुक्त सीएपी हेतु समिति को अग्रेषित करना अनिवार्य होगा.

3.1.1.3 रु. 10 लाख तक की कुल ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में और एसएमए-2 के रूप में पहचाने जाने पर, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शाखा प्रबंधक / नामित अधिकारी के प्राधिकार के तहत शाखा द्वारा ही वांछित सीएपी के लिए खाते की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए.

अन्य नियम और शर्तें, जैसे समय सीमा, पालन की जाने वाली प्रक्रिया आदि, जैसा कि पैराग्राफ 3.2.3 में संदर्भित समिति को अग्रेषित मामलों पर लागू होता है, शाखा प्रबंधक/नामित अधिकारी द्वारा पालन किया जाना चाहिए.

तथापि, यदि शाखा प्रबंधक/नामित अधिकारी पैराग्राफ 5.3.1 या 5.3.2 में उल्लिखित सुधार या पुनर्रचना के बजाय सीएपी के तहत वसूली के विकल्प पर निर्णय लेते हैं, तो उसे समिति को उसकी सहमति के लिए भेजा जाना चाहिए.

यदि आवश्यक समझा जाए, तो शाखा प्रबंधक या नामित अधिकारी को एसएमए-0 और एसएमए-1 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों की भी जांच करनी चाहिए.

3.1.1.4 परिचालन पर होल्डिंग (एचओओ) की अनुमति के लिए प्रतिनिधिमंडल बैंक की वसूली प्रबंधन नीति में प्रदान किया गया है. शाखाओं/कार्यालयों को परिचालन पर रोक लगाने से संबंधित संभावनाओं का पता लगाने के लिए, ताकि उधारकर्ता कम स्तर पर भी परिचालन जारी रख सकें और समय पर एचओओ की अनुपलब्धता के कारण गैर उधार देने वाले बैंकों के माध्यम से रूट करने के बजाय बैंक/ऋणदाताओं के साथ खाते के जरिए पूरे नकदी प्रवाह को रूट कर सकें.

3.1.2 **उधारकर्ता उद्यम द्वारा पहचान:**

3.1.2.1 यदि उद्यम यथोचित रूप से अनुभव करता है तो कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता, एक आवेदन करके, इस ढांचे के तहत स्वेच्छा से, निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यवाही शुरू कर सकता है,

i) अपने व्यवसाय की विफलता या
ii) अक्षमता या ऋण का भुगतान करने में संभावित अक्षमता है या
iii) पिछले लेखा वर्ष के दौरान इसके निवल मूल्य के 50% की सीमा तक संचित हानियों के कारण निवल संपत्ति में क्षरण हुआ हो.

3.1.2.2 ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर शाखा

i) इसे समिति को भेजें, ऐसे मामलों में जहां खाता प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर रु. 10 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा के साथ है.
(इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर समिति को एक उपयुक्त सीएपी के लिए खाते की जांच करने हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जल्द से जल्द, लेकिन पांच (5) कार्य दिवसों के पश्चात एक बैठक बुलानी चाहिए.)

ii) ऐसे मामलों में जहां कुल ऋण सीमा रु. 10 लाख तक है, उपयुक्त सीएपी के लिए अनुरोध को शाखा प्रबंधक/नामित अधिकारी द्वारा निपटाया जाना है.

3.2 **दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए समितियां:** एमएसएमई खातों में दबाव के तेजी से समाधान को सक्षम करने के लिए, दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:

3.2.1 **स्थायी समिति**

3.2.1.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर रखने वाले सभी बैंकों को स्थायी समितियों का गठन करना है जो उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली शाखाओं के एमएसएमई खातों के कथित दबाव का समाधान करेंगे.

3.2.1.2 तदनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए स्थायी समिति का गठन किया जाएगा.

3.2.2 **कंसोर्टियम या बहु बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के तहत एमएसएमई उधारकर्ता**

3.2.2.1 बैंकों के कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के तहत क्रेडिट सुविधाएं रखने वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं के मामले में और जहां खाते को उधारकर्ता या किसी भी ऋणदाता द्वारा दबावग्रस्त के रूप में रिपोर्ट किया जाता है,

i) ऐसे मामले को इस ढांचे के तहत समिति को या तो कंसोर्टियम लीडर द्वारा या बैंक द्वारा एमबीए के तहत उधारकर्ता के लिए सबसे बड़ा एक्सपोजर, जैसा भी मामला हो, भेजा जाएगा.

ii) यह समिति विभिन्न उधारदाताओं के बीच समन्वय भी करेगी.

3.2.3 **समिति की संरचना:**

3.2.3.1 समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

i) क्षेत्र प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष होंगे.
ii) क्षेत्रीय कार्यालय में क्रेडिट-इन-चार्ज समिति के सदस्य और संयोजक होंगे.
iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता वाले एक स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ बैंक द्वारा नामित किया जाएगा.
iv) संबंधित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि. [भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि को लाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को नामित नहीं करती है, तो संयोजक बैंक को समिति में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, अर्थात् सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और उससे ऊपर के रैंक के किसी अन्य बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक को शामिल करना चाहिए.]

3.2.3.2 कोरम - एकल बैंकिंग के मामले में, इस समिति की बैठकों में तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है.

3.2.3.3 कंसोर्टियम या एमबीए के तहत खातों का प्रबंधन करते समय, उधारकर्ता के संपर्क में आने वाले सभी बैंकों/ऋणदाताओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को समिति का हिस्सा होना चाहिए. तदनुसार हमारे बैंक की ओर से, इस प्रस्ताव से संबंधित आंतरिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

3.2.3.4 स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ की नियुक्ति:

i) एमएसएमई की देखरेख करने वाले संबंधित राज्य सरकार के विभाग को पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा पावती देय के साथ भेजा जाना चाहिए. इस पत्र में पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उनके प्रतिनिधि के नामांकन के लिए कहा जाएगा अन्यथा यह माना जाएगा कि उनके पास ऐसी समिति के लिए कोई नामांकन नहीं है.

ii) सुचारु संचालन के लिए समिति के प्रत्येक स्तर अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर अन्य बैंकों के सेवानिवृत्त एजीएम और उससे ऊपर के बैंकों का पैनल, प्रमुख रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों से तैयार किया जाना चाहिए.

iii) इस समिति के अध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त एजीएम और उससे ऊपर के एजीएम का चयन किया जाना चाहिए.

iv) इसके अलावा, जैसा कि सुझाव दिया गया है, एक स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ को समिति के अध्यक्ष के विवेक पर चुना जा सकता है.

v) यदि किसी केंद्र पर दिशानिर्देशों के अनुसार बाह्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, तो उसे क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के परामर्श से केंद्र के बाहर से नियुक्त किया जा सकता है. तथापि, इस प्रकार नियुक्त बाह्य विशेषज्ञ को बैंक के पास अन्य केंद्र पर उपलब्ध वेब-कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग लेना चाहिए.

3.2.3.5 पारिश्रमिक: स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ के लिए शुल्क रु. 3000/- प्रति बैठक और उसी संवर्ग में जेब खर्च बैंक के पात्रता के अनुसार शुल्क के अतिरिक्त होगा.

3.2.3.6 इस समिति के सभी निर्णय सामान्यत: बहुमत से होंगे. तथापि, बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा.

3.2.3.7 कंसोर्टियम / एमबीए के तहत खातों के मामले में, उधारदाताओं को संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम (जेएलएफ) समझौते की तर्ज पर एक अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना चाहिए.

3.2.4 **सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें:**

3.2.4.1 क्षेत्रीय कार्यालय में गठित समितियों में नियुक्ति की शर्तें एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए निहित होती हैं और इसे संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

3.2.5 **बैठकों की आवृत्ति:**

3.2.5.1 इस समिति की बैठकें सप्ताह में एक बार विचारार्थ न्यूनतम एक प्रस्ताव प्राप्त होने की शर्त पर आयोजित की जाएंगी.

3.2.6 **समिति तक पहुंच (एक्सेस)**

3.2.6.1 सभी पात्र दबावग्रस्त एमएसएमई को इस ढांचे में निर्धारित नियमों के अनुसार इन खातों में दबाव को हल करने के लिए समिति तक पहुंच प्राप्त होगी.

3.2.7 **जब समिति सीएपी के हिस्से के रूप में वसूली का निर्णय करती है**

3.2.7.1 ऐसे मामलों में जहां समिति निर्णय लेती है कि वसूली सीएपी के हिस्से के रूप में की जानी है, वसूली का तरीका निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मौजूदा नीतियों के अनुसार होगा.

3.2.7.2 तथापि, यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित किसी भी नियम और मौजूदा वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन है.

**4 सुधारात्मक कार्य योजना के लिए समिति को आवेदन**

4.1 कोई भी शाखा/ऋणदाता द्वारा रु. 10 लाख से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले मामलों को निम्नलिखित परिस्थितियों में तत्काल बैठक बुलाने और सीएपी पर निर्णय लेने के लिए समिति को अग्रेषित किया जाएगा:

4.1.1 किसी शाखा/ऋणदाता द्वारा किसी एमएसएमई खाते की एसएमए-2 के रूप में पहचान करने या फ्रेमवर्क के तहत विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर

या

4.1.2 दबावग्रस्त उद्यम से एक आवेदन प्राप्त होने पर. दबावग्रस्त उद्यम जिसकी कुल ऋण सीमा रु. 10 लाख से अधिक है, सीएपी के लिए सीधे समिति को या सबसे बड़े ऋणदाता को समिति को आगे प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

4.2 भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने रु. 10 लाख से अधिक और रु. 25 करोड़ तक की कुल ऋण सीमा और रु. 10 लाख तक की कुल ऋण सीमा के लिए पहले से ही उपयुक्त आवेदन प्रारूप निर्धारित किए हैं. उक्त को अनुलग्नक I और अनुलग्नक II के रूप में संलग्न किया गया है.

4.3 ऐसे मामलों में जहां एक शाखा/ऋणदाता द्वारा आवेदन दायर किया जाता है और समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है, समिति संबंधित उद्यम को ऐसे आवेदन के बारे में पांच कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगी और उद्यम के लिए आवश्यक होगा कि:

4.3.1 आवेदन का जवाब दें या समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करें और

4.3.2 राज्य या केंद्र सरकार की देनदारियों और असुरक्षित लेनदारों, यदि कोई हो, सहित अपनी सभी देनदारियों का विवरण ऐसी सूचना की प्राप्ति के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर प्रकट करें.

4.3.3 यदि उद्यम उपरोक्त अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है, तो समिति एक पक्षीय कार्यवाही कर सकती है.

4.4 यह समिति, उद्यम की देनदारियों से संबंधित ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, उद्यम द्वारा प्रकट किए गए ऐसे सांविधिक लेनदारों को, जैसा वह उचित समझे, नोटिस भेज सकती है.

4.4.1 ढांचा के तहत उन्हें आवेदन के बारे में सूचित करना और

4.4.2 ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह (15) कार्य दिवसों के भीतर समिति के समक्ष अपने दावों के संबंध में अभ्यावेदन देने की अनुमति दें.

(यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह जानकारी एक उपयुक्त सीएपी पर पहुंचने हेतु उद्यम की कुल देयता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है, न कि ऋणदाता (ओं) द्वारा उसके भुगतान के लिए है.)

4.5 यह समिति सीएपी के तहत अपनाए जाने वाले विकल्प पर निर्णय करेगी, जैसा कि इस नीति के बाद के हिस्से में चर्चा की गई है, एक विशिष्ट उद्यम के लिए अपनी पहली बैठक बुलाने के 30 दिनों के भीतर करेगी. इस प्रकार प्राप्त निर्णय को ऐसे निर्णय की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर उद्यम को सूचित किया जाना चाहिए.

4.6 यदि सीएपी का निर्णय समिति द्वारा लिया गया, उद्यम के "ऋण के पुनर्गठन" की परिकल्पना करता है, तो समिति

4.6.1 विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन का आयोजन करें. (नीति का पैराग्राफ 5.1 का भी संदर्भ लें). टीईवी अध्ययन में सांकेतिक पहलू टीईवी अध्ययन/एलआईई के लिए बाह्य इंजीनियरों/फर्मों के पैनल में शामिल दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे.

4.6.2 पुनर्गठन के लिए मौजूदा प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार, इस तरह के पुनर्गठन की शर्तों को अंतिम रूप दें, जो निम्नलिखित के भीतर हो

i) 20 कार्य दिवस (रु. 10 करोड़ तक के कुल एक्सपोजर {एई} वाले खातों के लिए) और

ii) 30 कार्य दिवस (रु. 10 करोड़ से अधिक और रु. 25 करोड़ तक के कुल एक्सपोजर {एई} वाले खातों के लिए) और

iii) ऐसी शर्तों के बारे में 5 कार्य दिवसों के भीतर उद्यम को सूचित करें.

4.7 एक बार सीएपी की शर्तों को अंतिम रूप देने के पश्चात, उस योजना का कार्यान्वयन संबंधित शाखा द्वारा पूरा किया जाएगा, जो निम्न अवधि के भीतर होगा

i) 30 दिन, यदि सीएपी सुधार है और

ii) 90 दिन, यदि सीएपी पुनर्गठन कर रहा है

iii) ऐसे मामलों में जहां 'वसूली' को सीएपी के रूप में माना जाता है, वसूली के उपाय जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए.

4.8 एमएसएमई इकाई/उधारकर्ता, जिसका आवेदन समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक अनुबंधों को निष्पादित करना जारी रखेगा. हालाँकि, समिति उद्यम के भविष्य के पुनरुद्धार के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसा कि वह उचित समझे.

4.9 कर या किसी अन्य वैधानिक देय राशि के भुगतान के संबंध में, समिति सीएपी में उपयुक्त प्रावधान करेगी. उद्यम तब ऐसी योजना को संबंधित कराधान या सांविधिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसी भुगतान योजना का अनुमोदन प्राप्त करेगा.

**5 समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना.**

5.1 यह समिति खाते में दबाव को दूर करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकती है. यह किसी विशेष समाधान विकल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करेगा और प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार सीएपी तय कर सकता है. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि:

5.1.1 सीएपी के रूप में "पुनर्रचना" पर विचार करने से पूर्व, प्रत्येक खाते की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधित ऋणदाता/ओं द्वारा तय की जानी चाहिए.

5.1.2 रु. 10 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों के मामले में, समिति को सीएपी को अंतिम रूप देने से पहले एक विस्तृत टीईवी अध्ययन करना चाहिए.

5.2 सीएपी के परिचालन की अवधि के दौरान, उद्यम को सीएपी की शर्तों के तहत परिकल्पित अपने व्यवसाय परिचालन के लिए सुरक्षित और असुरक्षित ऋण दोनों का लाभ उठाने की अनुमति होगी.

5.3 यह समिति सीएपी के तहत निम्नलिखित विकल्पों को शामिल कर सकती है:

5.3.1 **सुधार:**

5.3.1.1 सुधार प्रक्रिया, प्राथमिक रूप से, उधारकर्ता द्वारा संचालित होनी चाहिए, आवश्यक समय अवधि के भीतर और मौजूदा उधारदाताओं की ओर से किसी भी नुकसान या बलिदान को शामिल किए बिना पहचान योग्य नकदी प्रवाह के साथ समर्थित होनी चाहिए.

5.3.1.2 प्रक्रिया में उधारकर्ता से एक दृढ़ प्रतिबद्धता प्राप्त करना, खाते को नियमित करने के लिए कार्रवाई और समय-सीमा निर्दिष्ट करना शामिल है ताकि खाता विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) की स्थिति से बाहर आ जाए या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) श्रेणी में स्लिप न हो जाए.

5.3.1.3 यदि आवश्यक हो, तो सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समिति उधारकर्ता को अतिरिक्त आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है.

i) तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, यह आवश्यकता आधारित वित्त, केवल असाधारण मामलों में, अपरिहार्य बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है. कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त वित्त के सभी मामलों में, यदि धन का कोई विचलन देखा जाता है, तो खाते को एनपीए के रूप में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा.

ii) ऐसा अतिरिक्त वित्त सामान्यतया एक तदर्थ सुविधा होना चाहिए जिसे अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर चुकाया या नियमित किया जाना चाहिए.

iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अतिरिक्त वित्त, साथ ही मौजूदा सुविधाओं के किसी भी रोल-ओवर या उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में वित्त पोषण नहीं, पुनर्गठन के समान होगा.

iv) इसके अलावा, एक वर्ष की अवधि के भीतर वित्त पोषण के साथ बार-बार सुधार, पुनर्गठन के रूप में माना जाएगा.

v) ऐसे मामलों में जहां किसी ऋणदाता द्वारा खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया है तो सीएपी के तहत कोई अतिरिक्त वित्त स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए.

5.3.2 **पुनर्गठन:** समिति "पुनर्गठन" पर विचार कर सकती है जब,

5.3.2.1 इकाई/व्यवसाय प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है और उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता नहीं है. दूसरे शब्दों में, निधि का कोई विचलन, धोखाधड़ी या दुर्भावना आदि नहीं है.

5.3.2.2 प्रमोटर/उधारकर्ता अपनी व्यक्तिगत गारंटी का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और संपत्ति के कानूनी शीर्षक की प्रतियों द्वारा समर्थित अपने निवल मूल्य विवरण को एक घोषणा के साथ प्रस्तुत करते हैं कि वे कोई भी लेनदेन नहीं करेंगे जो समिति की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संपत्ति को अलग कर देगा. ऋण की प्रतिभूति या वसूली को प्रभावित करने वाले प्रमोटरों / उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से किसी भी विचलन को वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है.

5.3.2.3 इस समिति के सभी ऋणदाताओं को एक अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उधारकर्ताओं को एक देनदार-ऋणदाता समझौते (डीसीए) पर हस्ताक्षर करना चाहिए जो किसी भी पुनर्गठन प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा. कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों की तर्ज पर आईसीए एवं डीसीए के लिए आईबीए अनुमोदित प्रारूपों का उपयोग किया जाना है. इसका मॉडल प्रारूप अनुबंध III के रूप में संलग्न हैं. उक्त अनुबंधों को निष्पादन से पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित किया जाना चाहिए.

5.3.2.4 आईसीए यह भी निर्धारित कर सकता है कि दोनों ज़मानती और बेज़मानती लेनदारों को अंतिम समाधान के लिए सहमत होने की आवश्यकता है.

5.3.2.5 पुनर्रचना की सुचारू प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए डीसीए में एक स्टैंड-स्टिल खंड (जैसा कि अग्रिमों की पुनर्रचना पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) निर्धारित किया जा सकता है. स्टैंड-स्टिल क्लॉज का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता को उधारदाताओं को भुगतान करने से रोक दिया गया है.

5.3.3 **वसूली**:

5.3.3.1. वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है यदि पहले दो विकल्प अर्थात 5.3.1 सुधार और 5.3.2 पुनर्रचना व्यवहार्य नहीं पाए जाते हैं. तब, समिति प्रयासों और परिणामों को अनुकूलित करने की दृष्टि से उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों में से सबसे अच्छी वसूली प्रक्रिया का निर्णय ले सकती है.

5.3.4 **ऋण देने की शक्तियों का प्रत्यायोजन:** उक्त रूपरेखा के तहत स्थायी समिति द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) तैयार की जानी है. तथापि, प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग ऋण शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नीति के अनुसार संबंधित प्रत्यायोजित प्राधिकारी के पास निहित रहेगा.

**6 पुनर्रचना पर विचार करने के लिए समिति का बहुमत खंड:**

6.1 अधिकांश लेनदारों द्वारा सहमत निर्णय, मूल्य के अनुसार **75**% और समिति के अनुसार 50% को खाते की पुनर्रचना के साथ आगे बढ़ने का आधार माना जाएगा. यह निर्णय अंतर-ऋणदाता करार की शर्तों के तहत सभी ऋणदाताओं पर बाध्यकारी होगा.

6.2 यदि समिति वसूली के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, तो संबंधित कानूनों या अधिनियमों के तहत बाध्यकारी निर्णय के लिए न्यूनतम मानदंड, यदि कोई हो, तो लागू होंगे.

**7 समय सीमा :**

7.1 आरबीआई रूपरेखा विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विस्तृत समय-सीमा को परिभाषित करता है. इन परिस्थितियों में, यदि समिति उधारकर्ता की विधिक देय राशि के बारे में जानकारी की अनुपलब्धता के कारण सीएपी और पुनर्रचना पैकेज पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो समिति सीएपी तय करने और पुनर्रचना पैकेज तैयार करने के लिए अधिकतम 30 दिनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है.

7.2 तथापि, सूचना अब भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो समिति को 30 दिनों की विस्तारित अवधि से अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए और सीएपी के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

**8 अतिरिक्त वित्त:**

8.1 ऐसा हो सकता है कि उद्यम को खाते की पुनर्रचना या बहाली के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता हो. ऐसी स्थिति में, यदि समिति आवश्यकता की वास्तविकता से संतुष्ट है, तो वह ऐसे वित्त के प्रावधान के लिए एक योजना तैयार कर सकती है.

8.2 ऐसे किसी भी अतिरिक्त वित्त का उचित अनुपात में प्रवर्तकों के योगदान से मिलान किया जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में, ऋण की मूल मंजूरी के समय के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए. दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त वित्त में प्रवर्तक का योगदान मूल मंजूरी के समय के अनुपात के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता. सीएपी/ अतिरिक्त वित्त पर विचार करते समय प्रवर्तक योगदान के स्त्रोत का पता लगाया जाना चाहिए और निवेशों को अग्रिम रूप से/ मंजूरी शर्तों के अनुरूप चरणों में किया जाएगा जिसका खाता विवरण सहित पर्याप्त साक्ष्य रखा जाए. साक्ष्य के रूप में निवेश के संबंध में सीएपी के प्रमाण पत्र को बैंक विवरण के साथ विधिवत पुष्टि करते हुए प्राप्त किया जाए.

8.3 इसके अलावा, सीएपी के एक भाग के रूप में पुनर्रचना/सुधार के तहत प्रदान की गई इस तरह के अतिरिक्त वित्तपोषण की प्राथमिकता मौजूदा ऋणों के पुनर्भुगतान से अधिक होगी. इसलिए, चुकौती स्वरूप प्राप्त अतिरिक्त वित्तपोषण की किश्तों को भी मौजूदा ऋण के पुनर्भुगतान दायित्वों पर प्राथमिकता दी जाएगी.

8.4 यदि मौजूदा प्रवर्तक अतिरिक्त धनराशि लाने में सक्षम नहीं हैं तो समिति उद्यम को जमानती या बेजमानती ऋण जुटाने की अनुमति दे सकती है.

8.5 सभी मान्यता प्राप्त लेनदारों की सहमति से समिति, किसी भी मौजूदा ऋण की तुलना में, इस तरह के अतिरिक्त वित्त पोषण को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर सकती है.

**9 'सुधार' या 'पुनर्रचना' के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन करने में असफल होने पर कार्रवाई का क्रम:**

9.1 जब समिति सीएपी के तहत एक विकल्प के रूप में 'सुधार' या 'पुनर्रचना' पर निर्णय लेती है, लेकिन खाता इन विकल्पों के तहत सहमत शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन करने में असफल रहता है, तो समिति, नीति के उपरुक्त विकल्प 5.3.3 के तहत चर्चा के अनुसार 'वसूली' शुरू करेगी.

**10 समिति द्वारा पुनर्रचना :**

10.1 **पात्रता:** पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

10.1.1 समिति केवल उन संपत्तियों के संबंध में परिसंपत्तियों की पुनर्रचना करेगी जिन्हें समिति के एक या अधिक ऋणदाताओं द्वारा "मानक", "विशेष उल्लेख खाता" या "अव-मानक" के रूप में रिपोर्ट किया गया है.

10.1.2 समिति ऐसे मामलों में भी ऋण के पुनर्रचना पर विचार कर सकती है जहां एक या दो ऋणदाताओं के साथ संदेहास्पद है, लेकिन मूल्य के आधार पर अन्य उधारदाताओं की किताबों में "मानक" या "अव-मानक" है.

10.1.3 इरादतन चूककर्ता पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं होंगे. तथापि, समिति इरादतन चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण के कारणों की समीक्षा कर सकती है और स्वयं को संतुष्ट कर सकती है कि उधारकर्ता इरादतन चूक को सुधारने की स्थिति में है. ऐसे मामलों के पुनर्रचना के निर्णय को समिति के भीतर संबंधित बैंक के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा, जिसने उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है.

10.1.4 धोखाधड़ी और कदाचार के मामले पुनर्रचना के लिए अपात्र रहते हैं. हालांकि, धोखाधड़ी और दुर्भावना के मामलों में, जहां मौजूदा प्रवर्तकों को नए प्रवर्तकों द्वारा बदल दिया जाता है और उधारकर्ता कंपनी को पूर्ववर्ती / प्रबंधन से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, तो:

i) बैंक और समिति पूर्ववर्ती प्रमोटरों/उधारकर्ताओं/प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के पूर्वाग्रह के बिना, उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्रचना पर विचार कर सकते हैं.

ii) तथापि संबंधित समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना प्रस्तावों को पूर्ण विवरण के साथ अगले उच्च प्राधिकारी को सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

iii) इसके अलावा, ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के बाद पुनर्वित्त पर उपलब्ध परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभों के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यदि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन समय-समय पर संशोधित "उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड (रणनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना के बाहर)" पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.41/21.04.048/2015-16 दिनांक 24 सितंबर, 2015 के अनुसार दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है.

10.2 **व्यवहार्यता:** व्यवहार्यता मानदंड निम्नानुसार हैं:

10.2.1 खाते की व्यवहार्यता उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी.

10.2.2 मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, चलनिधि अनुपात या वर्तमान अनुपात आदि शामिल हो सकते हैं.

10.3 **ढांचे के तहत पुनर्रचना से संबंधित शर्तें:**

10.3.1 6 महीने की अवधि के बाद कुछ निश्चित वित्तीय अनुपातों में सुधार जैसे कुछ व्यवहार्यता मील के पत्थर हासिल किए जा सकते हैं.

10.3.2 माइलस्टोन की उपलब्धि/अप्राप्ति के लिए समिति द्वारा खाते की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और वसूली उपायों सहित उपयुक्त उपाय शुरू करने पर जैसा कि उचित समझा जाए, विचार किया जाएगा .

10.3.3 पुनर्रचना को पूरा करने के लिए ढांचे में निर्दिष्ट समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

10.3.4 यह समिति की जिम्मेदारी है कि वह निर्दिष्ट समय अवधि का इष्टतम उपयोग करे, ताकि पुनर्रचना के किसी भी तरीके के तहत कुल समय सीमा का उल्लंघन न हो.

10.3.5 समिति के पास समग्र निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किए बिना समय-सीमा का परस्पर उपयोग करने का विकल्प है. दूसरे शब्दों में, एक गतिविधि में बचा हुआ समय दूसरी गतिविधि में उपयोग किया जा सकता है लेकिन संपूर्ण अभ्यास को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है.

10.3.6 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत यह होगा कि उधारदाताओं के बजाय हितधारक उद्यम का पहला नुकसान वहन करते हैं. कंपनी के मामले में, जब ऋण की पुनर्रचना की जाती है, तो समिति निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकती है:

i) कंपनी की इक्विटी को प्रवर्तकों द्वारा उधारदाताओं को उनके त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए स्थानांतरित करने की संभावना;

ii) प्रवर्तक अपनी कंपनियों में अधिक इक्विटी डाल रहे हैं;

iii) यदि ऋणदाता इसके पक्ष में हैं तो प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव को सक्षम करने के लिए उद्यम के टर्नअराउंड तक प्रमोटरों की होल्डिंग्स को प्रतिभूति न्यासी या एस्क्रो व्यवस्था में स्थानांतरित करना.

10.3.7 ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता विविधीकरण या विस्तार करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह के मुख्य व्यवसाय पर दबाव पड़ता है, खाते की पुनर्रचना के लिए एक शर्त के रूप में गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक खंड निर्धारित किया जा सकता है. तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीईवी अध्ययन के अनुसार, गैर-प्रमुख गतिविधियों और अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने पर खाते के व्यवहार्य होने की संभावना है. गैर-प्रमुख आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को क्रेताओं द्वारा सीधे नामित बैंक खाते में जमा किया जाना है.

10.3.8 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में पुनर्रचना देय राशि के संबंध में, ऋणदाताओं को शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों में खाते के उचित मूल्य में कमी से उत्पन्न होने वाले नुकसान या त्याग के लिए, शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है. मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, क्षतिपूर्ति कंपनी की इक्विटी को अग्रिम रूप से जारी करने के माध्यम से हो सकती है.

10.3.9 यदि ऋणदाताओं के त्याग को इक्विटी जारी करने के माध्यम से पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो कमी की सीमा तक प्रतिपूर्ति का अधिकार (आरओआर) खंड में शामिल किया जा सकता है.

10.3.10 ज़मानती उधारदाताओं, आंशिक रूप से ज़मानती उधारदाताओं और असुरक्षित उधारदाताओं के लिए उपलब्ध अंतर सुरक्षा ब्याज को अलग करने के लिए, समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकती है, जैसे:

i) पुनर्भुगतान के संबंध में उधारदाताओं के उपरोक्त वर्गों के बीच अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) में पूर्व समझौता;

ii) ज़मानती लेनदारों की प्राथमिकता निर्धारित करने वाला एक संरचित समझौता;

iii) कुछ पूर्व-सहमत अनुपात में ज़मानती, आंशिक रूप से ज़मानती और बेजमानती उधारदाताओं के बीच चुकौती आय का विनियोग.

10.3.11 उद्यम या उपरोक्त पैराग्राफ 4.3 के तहत मान्यता प्राप्त किसी लेनदार के अनुरोध पर, समिति उद्यम या ऐसे लेनदार द्वारा अनुरोध के अनुसार कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी.

## 10.4 आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रयोज्यत

10.4.1 मौजूदा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड इस ढांचे के तहत खातों के पुनर्रचना के लिए लागू होंगे. इसका मतलब है कि अनुमत अपवादों को छोड़कर पुनर्रचना के तुरंत बाद खाते को डाउनग्रेड कर दिया जाएगा.

## 11 समीक्षा तंत्र

11.1 यदि समिति निर्णय लेती है कि किसी उद्यम के खिलाफ वसूली कार्रवाई शुरू की जानी है, तो ऐसा उद्यम समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दस (10) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर समिति के निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है. .

11.2 समीक्षा के लिए अनुरोध निम्नलिखित आधारों पर होगा:

i) रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट गलती या त्रुटि; या

ii) नए और प्रासंगिक तथ्य या जानकारी की खोज जो उद्यम द्वारा उचित सावधानी बरतने के बावजूद समिति के समक्ष पहले ही प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी.

11.3 तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा और यदि इस तरह की समीक्षा के परिणामस्वरूप, समिति एक नई सुधारात्मक कार्य योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो वह ऐसा कर सकती है.

-----××××××××××××××××-----

**परिशिष्ट/ANNEXURE - I**

**एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्य योजना के लिए समिति को आवेदन**
**(रु.10 लाख से अधिक एवं रु.25 करोड़ तक के मौजूदा ऋण एक्सपोजर के लिए)**
**(जांच सूची के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए)**
**Application to the Committee for a Corrective Action Plan under Revival & Rehabilitation of MSME**
**(For Existing Loan Exposure above Rs.10 lakhs and up to Rs.25 crore)**
**(To be submitted along with documents as per the check list)**

**ए. उद्यम की संक्षिप्त रूपरेखा / Brief Profile of the Enterprise**:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उद्यम/ उधारकर्ता का नाम / Name of the Enterprise / Borrower | | | | | | |
| गठन Constitution | √ | प्रोपराइटर Proprietary | साझेदारी Partnership | प्राइवेट लिमिटेड Pvt. Ltd. | लिमिटेड कंपनी Ltd. Company | अन्य / Others |
| वर्तमान कार्यालय का पता / आवासीय पता Current office Address/Residential Address | | | | | | |
| वर्तमान कारोबार / गतिविधि / Current Business / Activity | | | | | | |
| उधारकर्ता के कॉर्पोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय का पता / Corporate office / Registered Office address of the borrower | | | | | | |
| संपर्क नंबर. Contact No. | | लैंड लाइन/ Land Line: मोबाइल/ Mobile: | | ई-मेल/E-Mail | | |
| जीएसटी क्रमांक/ GST No. | | | | | | |
| जीएसटी पंजीकरण की तिथि Date of GST Registration | | | | | | |
| उद्योग आधार संख्या / पंजीकरण संख्या Udyog Aadhaar No./Registration No. | | | | | | |
| निगमन/स्थापना की तिथि Date of Incorporation / Establishment | | | | | | |
| परिचालन शुरू होने की तिथि Date of commencement of operations: | | | | | | |
| गतिविधि/ Activity | | विनिर्माण/व्यापार/सेवाएं/अन्य / Mfg./ Trading/ Services/Others | | | | |
| बैंकिंग की आरंभिक तिथि: Banking with since: | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| बैंकिंग व्यवस्था:<br>Banking arrangement: | एकल बैंकिंग / सहायता संघ/ / बहु बैंकिंग<br>Sole Banking /Consortium/ /Multiple Banking | | | |
| एसएमए स्थिति यथा<br>SMA Status as on | एसएमए-0 / एसएमए-1 / एसएमए-2<br>SMA-0 / SMA-1 / SMA-2 | | | |
| बाह्य क्रेडिट रेटिंग<br>External Credit Rating | एजेंसी का नाम<br>Name of the Agency | वर्तमान रेटिंग<br>Current Rating | पिछली रेटिंग<br>Previous Rating | तक वैध है<br>Valid upto |
| | | | | |

**बी. प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों का विवरण/ Details of Proprietor/ Partners/ Directors**:

**(**राशि लाख में**/** Amount in Lacs**)**

| प्रोपराइटर / साझेदारों / निदेशकों के नाम<br>Name of Proprietor/ Partners/ Directors | संपर्क सं. सहित आवासीय पता<br>Residential Address with Contact No. | पैन नंबर /डीआईएन नं.<br>PAN No. /DIN No. | निवल मालियत यथा .....<br>Net Worth as on …… | उधारकर्ता/गारंटर के रूप में अन्य देय राशि<br>Other dues as Borrower / Guarantor | शेयर धारिता का %<br>% of Share holding |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**सी. एसोसिएट संस्था/सहयोगी संस्था/समूह कंपनियों का विवरण:**

**Details of Associate Concern /Sister Concern/Group Companies:** **(**Amount in Lacs**/**राशि लाख में)

| एसोसिएट संस्था/ सहयोगी संस्था/समूह कंपनियों का नाम<br>Name of Associate Concern / Sister Concern / Group Companies | कारोबार गतिविधि<br>Business Activity | आईआरएसी की स्थिति<br>IRAC status | बैंकिंग सेवा प्रदाता<br>Banking With | ऋण सीमा<br>Loan Limit | | वित्तीय स्थिति यथा .....<br>Financials as on …… | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एफ़बी<br>FB | एनएफबी<br>NFB | निवल बिक्री<br>Net Sales | निवल लाभ<br>Net Profit | निवल संपत्ति<br>Net Worth |
| | | | | | | | | |

**डी. सामाजिक श्रेणी/ Social Category:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिंग/ Gender | √ | पुरुष**/** Man | | महिला / Woman | | | ट्रांसजेंडर/ Trans gender |
| शारीरिक दिव्यांग<br>Physically Challenged | | हाँ या नहीं **/** Yes or No | | | | | |
| सामाजिक श्रेणी<br>Social Category | √ | अजा<br>SC | अजजा<br>ST | ओबीसी<br>OBC | महिला<br>Women | शारीरिक दिव्यांग<br>Physically Handicapped | अल्पसंख्यक<br>Minority |
| यदि अल्पसंख्यक समुदाय है<br>If Minority Community | √ | बौद्ध<br>Buddhists | मुस्लिम<br>Muslims | ईसाई<br>Christians | सिख<br>Sikhs | जैन<br>Jains | पारसी<br>Zoroastrians |

**ई. बैंक के साथ मौजूदा देनदारियों का विवरण / Details of Existing Liabilities with Banks:**

(राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| सुविधा / Facility | स्टॉक का बाजार मूल्य Market value of Stocks | स्टॉक का अग्रिम मूल्य Advance Value of Stocks | आहरण शक्ति Drawing Power | बकाया O/s | अतिदेय Over Dues |
|---|---|---|---|---|---|
| निधि आधारित कार्यशील पूंजी (सीसी/ओडी आदि) Fund based working capital (CC/OD etc.) | | | | | |
| निर्यात पैकिंग क्रेडिट (रुपया/पीसीएफसी) Export Packing Credit (Rupee/PCFC) | | | | | |
| भुनाए गए बिल / Bills Discounting | | | | | |
| पीएसएफसी / PSFC | | | | | |
| निधि आधारित उप-योग / Fund based Sub-total | | | | | |
| कार्यशील पूंजी के लिए एलसी/बीजी LC/BG for working capital | | | | | |
| चुकौती आश्वासन पत्र# / Letters of comfort# | | | | | |
| गैर-निधि आधारित उप-योग Non Fund based Sub-Total | | | | | |
| कुल कार्यशील पूंजी / Total Working Capital | | | | | |
| सावधि एक्सपोजर (परियोजना ऋण के अलावा) (तुलन पत्र निधीयन) / Term Exposures (Other than Project Loans) (Balance Sheet funding) | | | | | |
| डेरीवेटिव (सीसीएफ लागू करने के बाद) Derivatives (after applying CCF) | | | | | |
| कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) / Any other (specify) | | | | | |
| **कुल एक्सपोजर / Total Exposure** | | | | | |

बैंकिंग व्यवस्था और साझा करने की पद्धति / Banking arrangement and sharing pattern:

वित्तीय व्यवस्था / Financial Arrangement:

एकल बैंकिंग/सहायता संघ/बहु बैंकिंग / Sole Banking/Consortium/Multiple Banking/

| | **निधि आधारित / FB** | | | | **एनएफ़बी/ NFB** | | **कुल/ Total** | | **शेयर % %Share** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **डबल्यूसी/WC** | | **टीएल/ TL** | | | | | | |
| | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | |
| **बैंक 1/ Bank 1** | | | | | | | | | |
| **बैंक 2/ Bank 2** | | | | | | | | | |
| **सभी बैंक(कुल) Banks (Total)** | | | | | | | | | |
| **कुल/ Total** | | | | | | | | | |

**वित्तीय संस्थाओं से ऋण/एनबीएफ़सी और अतिदेय, यदि हो / Loans with Financial Institutions / NBFCs and overdues, if any:**

**एफ. अन्य देनदारियों का विवरण/ Details of Other Liabilities**:

(राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास सांविधिक देय शेष बकाया का विवरण. / Details of Statutory dues remaining outstanding with State Government or Central Government | अरक्षित लेनदारों का विवरण / Details of Unsecured Creditors (दायित्व होने का कारण प्रस्तुत करें / Furnish reason for incurring liability) |
|---|---|
| | |

**जी. वित्तीय/ Financials:** (राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| विवरण / Particulars | पिछला वर्ष-II (वास्तविक) Past Year-II (Actual) | पिछला वर्ष-I (वास्तविक) Past Year-I (Actual) | चालू वर्ष (अनुमानित) Present Year (Estimate) | आगामी वर्ष-I (पूर्वानुमान) Next Year-I (Projection) | आगामी वर्ष-II (पूर्वानुमान) Next Year-II (Projection) |
|---|---|---|---|---|---|
| निवल बिक्री (परिचालन आय सहित) Net Sales (including Operating Income) | | | | | |
| (%) पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि / (%) growth in net sales over previous year | | | | | |
| परिचालन लाभ (ब्याज के बाद) Operating Profit (after interest) | | | | | |
| परिचालन लाभ सीमा (%) Operating Profit Margin (%) | | | | | |
| अन्य आय / Other Income | | | | | |
| कर देने से पूर्व लाभ / Profit Before tax | | | | | |
| पीएटी / PAT | | | | | |
| निवल लाभ सीमा (%) Net Profit Margin (%) | | | | | |
| चुकता इक्विटी पूंजी/ Paid-up Equity Capital/ | | | | | |
| मूर्त निवल मूल्य / Tangible Net Worth | | | | | |
| समायोजित टीएनडबल्यू / Adjusted TNW | | | | | |
| टीओएल/समायोजित टीएनडब्ल्यू TOL/ Adjusted TNW | | | | | |
| चालू अनुपात / Current Ratio | | | | | |
| नकद उपार्जन / Cash Accruals | | | | | |
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio | | | | | |

**एच. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के मामले में/ In case of additional Working Capital**:

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| वास्तविक बिक्री/ Actual Sales | | पूर्वानुमानित / Projected | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष- FY- | वित्तीय वर्ष- FY- | बिक्री Sales | कार्य चक्र (दिनों में) / Working Cycle (in days) | मालसूची (दिनों में) Inventory (in days) | देनदार (दिनों में) Debtors (in days) | लेनदार (दिनों में) Creditors (in days) | प्रमोटर का योगदान Promoter's Contribution |
| | | | | | | | |

**आई. अतिरिक्त मीयादी ऋण सुविधाओं के लिए ऋण की चुकौती के प्रस्तावित वर्ष तक पूर्वानुमान को प्रदान किया जाना है. / For additional term loan facilities projections to be provided till the proposed year of repayment of loan.**

**जे. (ए) मौजूदा प्रतिभूति का विवरण/ Details of Existing Security**:

(राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| प्राथमिक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Primary Security | | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Collateral Security | सरफेसी शिकायत (हां या नहीं) SARFAESI Complaint (Yes or No) | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
| | | | | |

**(बी) प्रस्तावित की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिभूति का विवरण/ Details of Proposed Additional Security to be offered:** (राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| प्राथमिक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Primary Security | | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Collateral Security | सरफेसी शिकायत (हां या नहीं) SARFAESI Complaint (Yes or No) | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
| | | | | |

**के. (ए) मौजूदा गारंटरों का विवरण/ Details of Existing Guarantors:**

(राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| गारंटरों का नाम और पता / Name and addresses of the Guarantors | आयु / Age | व्यवसाय Occupation | वार्षिक आय Annual Income | निवल मालियत यथा..... को Net Worth as on…….. | उधारकर्ता/गारंटर के रुप में अन्य देय राशि Other dues as Borrower / Guarantor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**(बी) प्रस्तावित गारंटरों का विवरण/ Details of Proposed Guarantors**:

(राशि लाख में/ Amount in Lacs)

| गारंटरों का नाम और पता / Name and addresses of the Guarantors | आयु / Age | व्यवसाय Occupation | वार्षिक आय Annual Income | निवल मालियत यथा..... को Net Worth as on…….. | उधारकर्ता/गारंटर के रुप में अन्य देय राशि Other dues as Borrower / Guarantor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**एल. उद्यम द्वारा सामना किए गए दबाव का ब्यौरा/ Details of stress faced by the Enterprise**:

| दबाव की सांकेतिक सूची Indicative List of Stress | उद्यम द्वारा सामना किए गए दबाव का ब्यौरा Details of stress faced by the Enterprise |
|---|---|
| • नकद ऋण खाता में बकाया राशि निरंतर अधिकतम पर बनी रहे. / Outstanding balance in cash credit account remaining continuously at the maximum.<br>• निरंतर आधार पर निर्धारित मार्जिन को बनाए रखने मे असमर्थता. / Inability to maintain stipulated margin on continuous basis.<br>• सावधि ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज की किस्तों का समय पर भुगतान करने में विफल. / Failed to make timely payment of installments of principal and interest on term loans.<br>• उत्पादन में गिरावट. / Decline in production.<br>• बिक्री में गिरावट एवं मुनाफे में गिरावट. / Decline in sales and fall in profits.<br>• मालसूची के स्तर में वृद्धि. / Increase in level of inventories.<br>• सांविधिक देनदारियों का भुगतान करने में विफलता. / Failed to pay statutory liabilities.<br>• एलसी/बीजी के तहत देय किस्तों, सघन देनदारियों के भुगतान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलंब. / Delay in meeting commitments towards payments of installments due, crystallized liabilities under LC/BGs. | |

**एम. कार्य योजना का औचित्य सिद्ध करने हेतु अनुमानित समय सीमा के साथ सुझाए गए उपचारात्मक उपाय / Suggested Remedial Measures with the estimated time frame to justify the action plan:**

| सांकेतिक उपचारात्मक उपाय Indicative Remedial Measures | उद्यम द्वारा कार्य योजना/समाधान का औचित्य सिद्ध करने हेतु सहायक विवरणों के साथ अनुमानित समय सीमा सहित उपचारात्मक उपाय सुझाए गए, जैसा भी मामला हो, टीईवी द्वारा विधिवत समर्थित/निरीक्षित किए जाएंगे. / Suggested remedial measures with the estimated time frame by the Enterprise with supporting details to justify the action plan /solution, duly supported/vetted by TEV as the case may be. |
|---|---|
| सुधार / Rectification: | |
| पुनर्रचना/ Restructuring:<br>• किस्तों का पुनर्निर्धारण. / Reschedulement of Instalments. | |

| | |
|---|---|
| • ब्याज का पूंजीकरण. / Capitalisation of interest.<br>• नये और/या अतिरिक्त कार्यशील पूंजी/डब्ल्यूसीटीएल./ Fresh and/or additional WC / WCTL.<br>• आवश्यकता आधारित विस्तार के लिए नई सावधि ऋण सहायता./ Fresh term loan assistance for need based expansion. | |

**घोषणा/ Declaration**: मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है. मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य सभी जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करेंगे. आपके द्वारा किसी भी एजेंसी के साथ सूचना का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है जिसे आप उपयुक्त समझते हैं. आप, आपके प्रतिनिधि या आपके द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, किसी भी समय मेरे/हमारे कारखाने/व्यापार परिसर में मेरी/हमारी संपत्ति, खातों की बही आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं. आप बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए उचित प्रतिभूति उपाय/कार्रवाई कर सकते हैं.

I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and completeto the best of my/our knowledge and belief. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/ verify my/our assets, books of accounts etc. in my/our factory/business premises. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

**उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर**
**Signature of Borrowers**
**दिनांक/ Date**: .....

**मौजूदा और प्रस्तावित गारंटरों के हस्ताक्षर**
**Signature of Existing & Proposed Guarantors**
**स्थान/ Place: .....**

**जाँच सूची/ CHECK LIST: (जाँच सूची केवल सांकेतिक है एवं संपूर्ण नहीं है और बैंकों की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता के अनुसार जोड़ा/घटाया जा सकता है) / (The check list is only indicative and not exhaustive and depending upon the requirements of banks addition/deletion could be made as per necessity).**

1) पिछले दो वर्षों की लेखापरीक्षित तुलन पत्र (जहां कहीं भी लागू हो, आईटी अधिनियम के अनुसार) के साथ-साथ आयकर/बिक्री कर विवरण आदि.
   Last two years audited balance sheets (wherever applicable as per IT Act) of the units along with income tax/sales tax return etc.
2) कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में दो साल के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए पूर्वानुमानित तुलन पत्र.
   Projected balance sheets for two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan.
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवेदन जमा करने की तारीख तक की गई बिक्री / पिछली तिमाही के अंत तक अनंतिम तुलन पत्र.
   Sales achieved during the current financial year up to the date of submission of application/Provisional Balance sheet as at Previous Quarter End.
4) प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशकों की आस्ति एवं देयता का विवरण.
   Asset & Liability statement of Proprietor/ Partners/ Directors.

5) यदि उधारकर्ता द्वारा निधि डालने का प्रस्ताव है, तो कृपया स्रोत निर्दिष्ट करें.
If funds proposed to be infused by borrower, please specify Sources.

6) प्रस्तावित प्रतिभूतियों प्राथमिक/संपार्श्विक, यदि कोई हो का विस्तृत विवरण.
Detailed Particulars of securities primary/collateral proposed, if any.

7) राज्य या केंद्र सरकार और अरक्षित लेनदारों की देयताओं सहित उद्यम की सभी देयताओं का विवरण, यदि कोई हो.
Details of all liabilities of the enterprise, including the liabilities owed to the State or Central Government and unsecured creditors, if any.

8) कार्य योजना/ समाधान के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उद्यम द्वारा अनुमानित समय सीमा के साथ सुझाए गए उपचारात्मक उपायों के लिए सहायक विवरण.
Supporting details for the suggested remedial measures with the estimated time frame by the Enterprise to justify the action plan /solution.

**पावती / Acknowledgement**

**कार्यालय प्रतिलिपि/ Office Copy:**

एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्ययोजना के लिए श्री/सुश्री/श्रीमती ..... ..... (नाम और पता) से आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया.

Received form Mr/Ms/M/s……... ……..……(Name & Address)an application dated …….. for corrective action plan under revival & rehabilitation of MSMEs.

दिनांक/ Date .....

**शाखा प्रबंधक/ Branch Manager**

**नाम/ Name:**

**बैंक का नाम/ Name of the Bank:**

--- --- ---

**ग्राहक प्रतिलिपि/ Customer copy:**

एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्ययोजना के लिए श्री/सुश्री/श्रीमती ..... ..... (नाम और पता) से आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया.

Received form Mr/Ms/M/s……... ……..……(Name & Address)an application dated …….. for corrective action plan under revival & rehabilitation of MSMEs.

दिनांक/ Date .....

**शाखा प्रबंधक/ Branch Manager**

**नाम/ Name:**

**बैंक का नाम/ Name of the Bank**

**कृपया ध्यान दें कि/ Please Note that**:

1. यह केवल आवेदन प्राप्ति की पावती है और इस प्रस्ताव को हमारी स्वीकृति के संकेत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, प्रस्ताव पर उचित विचार इसकी योग्यता के आधार पर और या बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के पूरा होने, यदि कोई हो, पर उचित विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.
   This is only an acknowledgement for having received the application and this should not be construed as an indication of our acceptance of the proposal, a decision on which will be taken only after due consideration of the proposal on its merit and / or on fulfilment of conditions if any, that may be stipulated by the Bank.
2. बैंक द्वारा अपेक्षित सभी विवरण/डाटा/दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा.
   The application will be taken up for consideration only after all the particulars / data / documents as may be required are received by the Bank.
3. बैंक द्वारा मांगे गए सभी विवरण/कागजात/दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से ..... दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा.
   The application will be disposed of within ……days from the date of receipt of all the details /papers/documents /clarifications sought by the Bank.
4. यदि प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो उसके कारणों की सूचना आवेदक को दी जाएगी.
   In case the proposal is rejected/not considered the reasons for the same will be intimated to the applicant.

**परिशिष्ट/ANNEXURE - II**

**एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्य योजना के लिए शाखा को आवेदन**

**(रु.10 लाख तक के मौजूदा ऋण एक्सपोजर के लिए)**

**(जांच सूची के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए)**

**Application to the Branch for a Corrective Action Plan under Revival & Rehabilitation of MSME**

**(For Existing Loan Exposure Up to Rs.10 lakhs)**

**(To be submitted along with documents as per the check list)**

**ए. उद्यम की संक्षिप्त रूपरेखा / Brief Profile of the Enterprise:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उद्यम/उधारकर्ता का नाम / Name of the Enterprise / Borrower | | | | | | |
| गठन Constitution | √ | प्रोपराइटर Proprietary | साझेदारी Partnership | प्राइवेट लिमिटेड Pvt. Ltd. | लिमिटेड कंपनी Ltd. Company | अन्य / Others |
| वर्तमान कारोबार / गतिविधि / Current Business / Activity | | | | | | |
| वर्तमान कार्यालय का पता / आवासीय पता Current office Address/Residential Address | | | | | | |
| संपर्क नंबर. Contact No. | | लैंड लाइन/Land Line: मोबाइल/ Mobile: | | ई-मेल/E-Mail | | |
| जीएसटी क्रमांक/ GST No. | | | | | | |
| जीएसटी पंजीकरण की तिथि Date of GST Registration | | | | | | |
| उद्योग आधार संख्या / पंजीकरण संख्या Udyog Aadhaar No./Registration No. | | | | | | |
| निगमन/स्थापना की तिथि Date of Incorporation / Establishment | | | | | | |
| गतिविधि/ Activity | | | | विनिर्माण/व्यापार/सेवाएं/अन्य / Mfg./Trading/Services/Others | | |
| कारोबारी गतिविधि का संक्षिप्त विवरण / Brief of Business activity | | | | | | |
| | | | | | | |
| बैंकिंग की आरंभिक तिथि Banking with since | | | | | | |
| एसएमए स्थिति यथा SMA Status as on | | एसएमए -0 / एसएमए-1 / एसएमए-2 SMA-0 / SMA-1 / SMA-2 | | | | |

**बी. प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों का विवरण/ Details of Proprietor/ Partners/ Directors**:

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| प्रोपराइटर / साझेदारों / निदेशकों के नाम Name of Proprietor/ Partners/ Directors | संपर्क सं. सहित आवासीय पता Residential Address with Contact No. | पैन नंबर /डीआईएन नं. PAN No. /DIN No. | निवल मालियत यथा ..... Net Worth as on …… | शेयर धारिता का % % of Share holding | उधारकर्ता/गारंटर के रूप में अन्य देय राशि Other dues as Borrower / Guarantor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**सी. एसोसिएट संस्था/सहयोगी संस्था का विवरण/ Details of Associate Concern /Sister Concern:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| एसोसिएट संस्था/सहयोगी संस्था का नाम Name of Associate Concern / Sister Concern | कारोबार गतिविधि Business Activity | आईआरएसी की स्थिति IRAC status | बैंकिंग सेवा प्रदाता Banking With | ऋण सीमा Loan Limit | | वित्तीय स्थिति यथा ..... Financials as on …… | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एफ़बी FB | एनएफबी NFB | निवल बिक्री Net Sales | निवल लाभ Net Profit | निवल संपत्ति Net Worth |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**डी. सामाजिक श्रेणी/ Social Category:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिंग/ Gender | √ | पुरुष/ Man | | महिला / Woman | | | ट्रांसजेंडर/ Trans gender |
| शारीरिक दिव्यांग Physically Challenged | | हाँ या नहीं / Yes or No | | | | | |
| सामाजिक श्रेणी Social Category | √ | अजा SC | अजजा ST | ओबीसी OBC | महिला Women | शारीरिक दिव्यांग Physically Handicapped | अल्पसंख्यक Minority |
| यदि अल्पसंख्यक समुदाय है If Minority Community | √ | बौद्ध Buddhists | मुस्लिम Muslims | ईसाई Christians | सिख Sikhs | जैन Jains | पारसी Zoroastrians |

**ई. बैंक के साथ मौजूदा देनदारियों का विवरण/ Details of Existing Liabilities with Banks**:

(राशि रु. में/Amount in Rs.)

| सुविधा / Facility | सीमा Limit | स्टॉक का बाजार मूल्य Market value of Stocks | स्टॉक का अग्रिम मूल्य Advance Value of Stocks | आहरण शक्ति Drawing Power | बकाया O/s | अतिदेय Over Dues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निधि आधारित कार्यशील पूंजी (सीसी/ओडी/ईपीसी आदि) Fund based working capital (CC / OD/EPC etc.) | | | | | | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) Others (please specify) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निधि आधारित उप-योग<br>Fund based sub-total | | | | | | |
| एलसी/बीजी के लिए कार्यशील पूंजी<br>LC/BG for working capital | | | | | | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)<br>Others (Please specify) | | | | | | |
| गैर-निधि आधारित उप-योग<br>Non Fund based Sub-total | | | | | | |
| कुल कार्यशील पूंजी<br>Total Working Capital | | | | | | |
| सावधि ऋण / Term Loans | | | | | | |
| कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)<br>Any Other (Specify) | | | | | | |
| कुल एक्सपोजर / Total Exposure | | | | | | |

| **बैंकिंग व्यवस्था एवं साझा करने की पद्धति/ Banking arrangement and sharing pattern:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय व्यवस्था / Financial Arrangement:**<br>**एकल बैंकिंग/सहायता संघ/बहु बैंकिंग / Sole Banking/Consortium/Multiple Banking/** | | | | | | |
| | **निधि आधारित/FB** | | **गैर-निधि आधारित/NFB** | | **कुल / Total** | **शेयर % %Share** |
| | **डबल्यूसी/WC** | **टीएल/ TL** | | | | |

| | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | **सीमा Limit** | **बकाया O/s** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बैंक 1/ Bank 1 | | | | | | | |
| बैंक 2/ Bank 2 | | | | | | | |
| सभी बैंक (कुल)<br>Banks (Total) | | | | | | | |

**वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी के साथ ऋण और अतिदेय, यदि कोई हो/ Loans with Financial Institutions / NBFCs and overdues, if any:**

**एफ. अन्य देयताओं का विवरण/ Details of Other Liabilities:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास सांविधिक देय शेष बकाया का विवरण. / Details of Statutory dues remaining outstanding with State Government or Central Government | अरक्षित लेनदारों का विवरण / Details of Unsecured Creditors (दायित्व होने का कारण प्रस्तुत करें / Furnish reason for incurring liability) |
|---|---|
| | |

**जी. पिछले कार्यनिष्पादन और भविष्य के अनुमान/ Past Performance & Future Estimates:** (अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए पिछले दो वर्षों के वास्तविक कार्यनिष्पादन, चालू वर्ष के लिए अनुमान और अगले दो वर्षों के लिए पूर्वानुमान प्रदान किया जाना है / Actual performance for two previous years, estimates for current year and projections for next two years to be provided for additional working capital facilities)

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| | पिछला वर्ष-II (वास्तविक) Past Year-II (Actual) | पिछला वर्ष-I (वास्तविक) Past Year-I (Actual) | चालू वर्ष (अनुमानित) Present Year (Estimate) | आगामी वर्ष-I (पूर्वानुमान) Next Year-I (Projection) | आगामी वर्ष-II (पूर्वानुमान) Next Year-II (Projection) |
|---|---|---|---|---|---|
| निवल बिक्री / Net Sales | | | | | |
| निवल लाभ / Net Profit | | | | | |
| पूंजी (उद्यम का निवल मूल्य.) / Capital (Net Worth of the Enterprise) | | | | | |
| टीएनडब्ल्यू / TNW | | | | | |
| समायोजित टीएनडब्ल्यू / Adjusted TNW | | | | | |
| वर्तमान अनुपात Current Ratio | | | | | |
| टीओएल/ समायोजित टीएनडब्ल्यू TOL/Adjusted TNW | | | | | |
| नकद उपार्जन Cash Accruals | | | | | |

**एच. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के मामले में/ In case of additional Working Capital:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| वास्तविक बिक्री/ Actual Sales | | पूर्वानुमानित / Projected | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष- FY- | वित्तीय वर्ष- FY- | बिक्री Sales | कार्य चक्र (दिनों में) / Working Cycle (in days) | मालसूची (दिनों में) Inventory (in days) | देनदार (दिनों में) Debtors (in days) | लेनदार (दिनों में) Creditors (in days) | प्रमोटर का योगदान Promoter's Contribution |
| | | | | | | | |

**आई. अतिरिक्त मीयादी ऋण सुविधाओं के लिए ऋण की चुकौती के प्रस्तावित वर्ष तक पूर्वानुमान को प्रदान किया जाना है. / For additional term loan facilities projections to be provided till the proposed year of repayment of loan.**

**जे. (ए) मौजूदा प्रतिभूति का विवरण/ Details of Existing Security:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| प्राथमिक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Primary Security | | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Collateral Security | सरफेसी शिकायत (हां या नहीं) SARFAESI Complaint (Yes or No) | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
| | | | | |

**(बी) प्रस्तावित की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिभूति का विवरण/ Details of Proposed Additional Security to be offered:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| प्राथमिक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Primary Security | | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण Particulars of Collateral Security | सरफेसी शिकायत (हां या नहीं) SARFAESI Complaint (Yes or No) | ऋणभार की प्रकृति Nature of charge | मूल्यांकन की तिथि Date of Valuation | मूल्य Value |
| | | | | |

**के.(ए) मौजूदा गारंटरों का विवरण/ Details of Existing Guarantors:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| गारंटरों का नाम और पता / Name and addresses of the Guarantors | आयु / Age | व्यवसाय Occupation | वार्षिक आय Annual Income | निवल मालियत यथा..... को Net Worth as on…….. | उधारकर्ता/गारंटर के रुप में अन्य देय राशि Other dues as Borrower / Guarantor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**(बी) प्रस्तावित गारंटरों का विवरण/ Details of Proposed Guarantors:**

(राशि रु. में/ Amount in Rs.)

| गारंटरों का नाम और पता / Name and addresses of the Guarantors | आयु / Age | व्यवसाय Occupation | वार्षिक आय Annual Income | निवल मालियत यथा..... को Net Worth as on…….. | उधारकर्ता/गारंटर के रुप में अन्य देय राशि Other dues as Borrower / Guarantor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**एल. उद्यम द्वारा सामना किए गए दबाव का ब्यौरा/ Details of stress faced by the Enterprise:**

| दबाव की सांकेतिक सूची Indicative List of Stress | उद्यम द्वारा सामना किए गए दबाव का ब्यौरा Details of stress faced by the Enterprise |
|---|---|
| • नकद ऋण खाता में बकाया राशि निरंतर अधिकतम पर बनी रहे. / Outstanding balance in cash credit account remaining continuously at the maximum.<br>• निरंतर आधार पर निर्धारित मार्जिन को बनाए रखने मे असमर्थता. / Inability to maintain stipulated margin on continuous basis.<br>• सावधि ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज की किस्तों का समय पर भुगतान करने में विफल. / Failed to make timely payment of installments of principal and interest on term loans.<br>• उत्पादन में गिरावट. / Decline in production. | |

| | |
|---|---|
| • बिक्री में गिरावट एवं मुनाफे में गिरावट. / Decline in sales and fall in profits.<br>• अतिदेय प्राप्य/ अशोध्य ऋण. / Overdue Receivables / Bad debts.<br>• मालसूची के स्तर में वृद्धि. / Increase in level of inventories.<br>• सांविधिक देनदारियों का भुगतान करने में विफलता. / Failed to pay statutory liabilities.<br>• एलसी/बीजी के तहत देय किस्तों, सघन देनदारियों के भुगतान की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलंब. / Delay in meeting commitments towards payments of installments due, crystallized liabilities under LC/BGs. | |

**एम. कार्य योजना का औचित्य सिद्ध करने हेतु अनुमानित समय सीमा के साथ सुझाए गए उपचारात्मक उपाय / Suggested Remedial Measures with the estimated time frame to justify the action plan:**

| सांकेतिक उपचारात्मक उपाय<br>Indicative Remedial Measures | उद्यम द्वारा कार्य योजना/समाधान का औचित्य सिद्ध करने हेतु सहायक विवरणों के साथ अनुमानित समय सीमा सहित उपचारात्मक उपाय सुझाए गए, जैसा भी मामला हो, टीईवी द्वारा विधिवत समर्थित/निरीक्षित किए जाएंगे. / Suggested remedial measures with the estimated time frame by the Enterprise with supporting details to justify the action plan /solution, duly supported/vetted by TEV as the case may be. |
|---|---|
| सुधार / Rectification: | |
| पुनर्रचना/ Restructuring:<br>• किस्तों का पुनर्निर्धारण. / Reschedulement of Instalments.<br>• ब्याज का पूंजीकरण. / Capitalisation of interest.<br>• नये और/या अतिरिक्त कार्यशील पूंजी/डब्ल्यूसीटीएल./ Fresh and/or additional WC / WCTL.<br>• आवश्यकता आधारित विस्तार के लिए नई सावधि ऋण सहायता./ Fresh term loan assistance for need based expansion. | |

**घोषणा/ Declaration:** मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है. मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य सभी जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करेंगे. आपके द्वारा किसी भी एजेंसी के साथ सूचना का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है जिसे आप उपयुक्त समझते हैं. आप, आपके प्रतिनिधि या आपके द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, किसी भी समय मेरे/हमारे कारखाने/व्यापार परिसर में मेरी/हमारी संपत्ति, खातों की बही आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं. आप बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए उचित प्रतिभूति उपाय/कार्रवाई कर सकते हैं.

I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and completeto the best of my/our knowledge and belief. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/ verify my/our assets, books of accounts etc. in my/our factory/business premises. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

**उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर**
**Signature of Borrowers**
**दिनांक/ Date**: .....

**मौजूदा और प्रस्तावित गारंटरों के हस्ताक्षर**
**Signature of Existing & Proposed Guarantors**
**स्थान/ Place: .....**

**जाँच सूची/ CHECK LIST: (जाँच सूची केवल सांकेतिक है एवं संपूर्ण नहीं है और बैंकों की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता के अनुसार जोड़ा/हटाया जा सकता है) / (The check list is only indicative and not exhaustive and depending upon the requirements of banks addition/deletion could be made as per necessity).**

1) पिछले दो वर्षों के तुलन-पत्र (जहां कहीं भी लागू हो, सांविधिक आवश्यकताओं/ बैंक के निर्देश के अनुसार) इकाईयों के साथ-साथ आयकर/ बिक्री कर रिटर्न आदि.
   Last two years balance sheets (wherever applicable as per Statutory requirements / Bank's instructions) of the units along with income tax/sales tax return etc.
2) कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में दो वर्षों के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए पूर्वानुमानित तुलन-पत्र.
   Projected balance sheets for two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan.
3) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करने की तिथि तक की गयी बिक्री का पिछली तिमाही के अंत में आवेदन/अनंतिम तुलन-पत्र.
   Sales achieved during the current financial year up to the date of submission of application/Provisional Balance sheet as at Previous Quarter End.
4) प्रोपराइटर/साझेदार/निदेशकों की आस्ति एवं देयता का विवरण.
   Asset & Liability statement of Proprietor/ Partners/ Directors.
5) यदि उधारकर्ता द्वारा निधि का निवेश करने का प्रस्ताव है, तो कृपया स्त्रोत निर्दिष्ट करें.
   If funds proposed to be infused by borrower, please specify Sources.
6) प्रस्तावित प्राथमिक/संपार्श्विक प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो.
   Detailed Particulars of securities primary/collateral proposed, if any.
7) राज्य या केंद्र सरकार और अरक्षित लेनदारों की देयताओं सहित उद्यम की सभी देयताओं का विवरण, यदि कोई हो.
   Details of all liabilities of the enterprise, including the liabilities owed to the State or Central Government and unsecured creditors, if any.
8) कार्य योजना/ समाधान के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उद्यम द्वारा अनुमानित समय सीमा के साथ सुझाए गए उपचारात्मक उपायों के लिए सहायक विवरण.
   Supporting details for the suggested remedial measures with the estimated time frame by the Enterprise to justify the action plan /solution.

## पावती / Acknowledgement

**कार्यालय प्रतिलिपि/ Office Copy:**

एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्ययोजना के लिए श्री/सुश्री/श्रीमती ..... ..... (नाम और पता) से आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया.
Received form Mr/Ms/M/s……... ……(Name & Address) an application dated …….. for corrective action plan under revival & rehabilitation of MSMEs.

दिनांक/ Date .....

**शाखा प्रबंधक/ Branch Manager**
**नाम/ Name:**
**बैंक का नाम/Name of the Bank:**

--- --- ---

**ग्राहक प्रतिलिपि/ Customer copy:**

एमएसएमई के पुनरुत्थान और पुनर्वास के तहत सुधारात्मक कार्ययोजना के लिए श्री/सुश्री/श्रीमती ..... ..... (नाम और पता) से आवेदन दिनांक..... को प्राप्त किया.
Received form Mr/Ms/M/s……... …… ……(Name & Address)an application dated …….. for corrective action plan under revival & rehabilitation of MSMEs.

दिनांक/ Date .....

**शाखा प्रबंधक/ Branch Manager**
**नाम/ Name:**
**बैंक का नाम/ Name of the Bank**

**कृपया ध्यान दें कि/ Please Note that:**

1. यह केवल आवेदन प्राप्ति की पावती है और इस प्रस्ताव को हमारी स्वीकृति के संकेत के रुप में नहीं माना जाना चाहिए, प्रस्ताव पर उचित विचार इसकी योग्यता के आधार पर और या बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के पूरा होने, यदि कोई हो, पर उचित विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.
   This is only an acknowledgement for having received the application and this should not be construed as an indication of our acceptance of the proposal, a decision on which will be taken only after due consideration of the proposal on its merit and / or on fulfilment of conditions if any, that may be stipulated by the Bank.
2. बैंक द्वारा अपेक्षित सभी विवरण/डाटा/दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा.
   The application will be taken up for consideration only after all the particulars / data / documents as may be required are received by the Bank.
3. बैंक द्वारा मांगे गए सभी विवरण/कागजात/दस्तावेजों/स्पष्टीकरण की प्राप्त होने की तारीख से .....दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा.
   The application will be disposed of within .....days from the date of receipt of all the details /papers/documents /clarifications sought by the Bank.
4. यदि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता है तो उसके कारणों की सूचना आवेदक को दी जाएगी.
   In case the proposal is rejected/not considered the reasons for the same will be intimated to the applicant.

**<u>अनुलग्नक - III</u>**

**अंतर लेनदार करार**

**जैसा कि यहाँ अनुसूची I में निर्धारित है बैंक और वित्तीय संस्थानों के बीच (ऋणदाताओं के रुप में)**

**तथा**

**.....लिमिटेड**
(प्रतिभूति ट्रस्टी के रुप में)

**तथा**

.....**बैंक**

(उधारदाताओं के एजेंट के रुप में)

**दिनांक....., .....20.**

## अंतर लेनदार करार

**अंतर लेनदार करार** (जिसे इसके बाद **"करार"** के रुप में संदर्भित किया गया है) पर बनाया गया है _____, इस के रूप में_____के दिन_____20 ..... के बीच:

1. **अनुसूची I में निर्धारित व्यक्ति**, इसके बाद सामूहिक रूप से " **ऋणदाताओं** " के रूप में संदर्भित (जिस अभिव्यक्ति में संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार सभी या उनमें से कोई एक या अधिक शामिल होंगे और इसमें कोई अन्य बैंक या संस्थान या कोई अन्य संस्था भी शामिल होगी/ वह व्यक्ति जिसे **पहले पक्ष** के सभी या किसी एक या अधिक उधारदाताओं के अधिकार और/या दायित्व सौंपे गए हैं, नवीकृत किए गए हैं, और/या स्थानांतरित किए गए हैं) ;

   और

2. **..... बैंक** , [बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ [बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित]/[एक निकाय कॉर्पोरेट कंपनी अधिनियम, 2013 का अर्थ]/[बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी) के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी]/[भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम]/[धारा 5(1) (सी) के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के और, जिसका पंजीकृत/मुख्य कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय ..... उधारदाताओं के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है (बाद में इसे **"ऋणदाताओं के एजेंट"** के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि वह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल करें) **दूसरे पक्ष के;**

3. ..... **लिमिटेड** , [बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ [बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित]/[ अधिनियम, 2013 के अनतर्गत एक निकाय से अभिप्रेत]/[बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी)
   में अभिप्रत एक बैंकिंग कंपनी]/[भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम]/[ कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 5(1) (सी) में अभिप्रेत एक बैंकिंग और, जिसका पंजीकृत/मुख्य कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय ..... उधारदाताओं के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है (बाद में इसे " **प्रतिभूति ट्रस्टी** " के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि वह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों को शामिल करें) **तृतीय पक्ष के;**

**जबकि:**

ए. उधारकर्ता ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (" **एमएसएमई** ") के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए समय-समय पर जारी / संशोधित / परिशोधित / पूरक ऋण सुविधाओं के संबंध में आरबीआई के ढांचे के अनुसार अपने पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए ऋणदाताओं से संपर्क किया जैसा कि अनुसूची II के भाग ए के विवरण के अनुसार ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है.

बी. उधारदाताओं ने कुछ प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जैसा कि अनुसूची II के भाग बी में वर्णित है.

इस करार के उद्देश्य में "**सुविधाओं**" का अर्थ अनुसूची भाग II के "ए" में वर्णित सुविधाओं तथा साथ-साथ अनुसूची II के भाग "बी" में वर्णित वित्तीय सहायता जानकारी, जैसा भी संदर्भ हो, से होगा.

सी. वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों में से एक यह है कि प्रतिभूत दायित्वों को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूतियों द्वारा और **अनुसूची III** में वर्णित तरीके से प्रतिभूत किया जाएगा.

डी. उधारकर्ता के अनुरोध पर, ऋणदाताओं के द्वारा दी गई तिथि पर प्रतिभूति ट्रस्टी और ऋणदाताओं एजेंट को कार्य करने एवं उनकी ओर से कार्य करने के लिए संबंधित वित्त पोषण दस्तावेज़ों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार नियुक्त किया है.

ई. ऋणदाता स्वीकार करते हैं कि किसी भी ऋणदाता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उपलब्ध उनके अधिकारों, शक्तियों और विवेक का प्रयोग, जिसमें कोई सहमति या छूट देना, किसी भी वित्तपोषण दस्तावेजों में किसी भी आशोधन या संशोधन को स्वीकार करना, त्वरण और प्रवर्तन कार्रवाई शामिल है, का अन्य सभी ऋणदाताओं के हितों पर सीधा प्रभाव होगा और इसलिए, ऋणदाता चाहते हैं कि एक समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिए और सभी ऋणदाता एक समान, या कार्रवाई के सामान्य तरीके को अपनाने के लिए सभी प्रयासों का उपयोग करेंगे;

एफ. समय-समय पर जारी/आशोधित/संशोधित/पूरक एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क के अनुसार अपने अधिकारों, शक्तियों और उपायों के अभ्यास के समन्वय के उद्देश्य से पक्षों ने इस समझौते में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

**अब उपरोक्त आधार को ध्यान में रखते हुए, यहां के पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:**

## अनुच्छेद I

## परिभाषा और व्याख्या

1.1 **परिभाषाएं**

जब तक इस अनुबंध में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक मोटे अक्षरों में लिखे सभी शब्दों का अर्थ वित्त पोषण दस्तावेजों में दिया गया माना जाएगा. जब तक संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

**"एक्सलेरेशन"** का अर्थ अनुच्छेद 4.2(ए) में संदर्भित नोटिस होगा, जिसमें वित्त पोषण दस्तावेजों के तहत बकाया राशि के भुगतान में तेजी लाने के लिए ऐसी सभी राशियों के देय और देय होने की घोषणा की जाएगी.

**"करार"** का अर्थ इस तिथि को अनुसूचित करार से होगा, जिसे इसके प्रावधानों के अनुसार संशोधित या पूरक किया जा सकता है.

"**उधारकर्ता**" का अर्थ होगा [●].

**"प्रवर्तन कार्रवाई को नियंत्रित करना"** का अर्थ अनुच्छेद 4.2 (बी) (ई) में वर्णित है.

**"प्रवर्तन कार्रवाई"** का अर्थ वित्तीय दस्तावेज़ों के अंतर्गत एक या एक से अधिक ऋणदाताओं द्वारा ऋणी, परियोजना, उधारकर्ता के व्यवसाय, या सभी या सुरक्षित संपत्ति के किसी भी हिस्से के विरूद्ध, वित्तपोषण के तहत ऋणदाताओं के अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से कोई कार्रवाई या कार्यवाही. दस्तावेज़, बिना किसी परिसीमन के, किसी भी गैर-न्यायिक कार्रवाई की शुरुआत या किसी भी अदालत में या किसी प्रशासनिक एजेंसी या सरकारी न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए, जिसमें बैंकों के कारण ऋण की वसूली के तहत या उसके अनुसार शुरू की गई कोई भी कार्रवाई शामिल है, या वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 या वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("**सरफेसी अधिनियम")** या लागू कोई कानून, या एक रिसीवर या परिसमापक नियुक्त करने की कार्रवाई, या प्रयोग करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा कोई कार्रवाई किसी दावे पर निर्णय लेने या निर्णय लेने के लिए उनके संबंधित वित्त पोषण दस्तावेजों के तहत अधिकार होगा. बशर्ते कि, सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता को धारा 13(2) नोटिस भेजना एक प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होगी.

**"प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस"** का अर्थ अनुच्छेद 4.2 (बी) (सी) (i) में वर्णित होगा.

**"प्रवर्तन के इच्छुक पक्ष"** का अर्थ अनुच्छेद 4.2 (बी) (सी) (i) में दिया गया है.

"**वित्तीय दस्तावेज़ों**" का अर्थ ऋणदाताओं के संबंधित सुविधा समझौतों, या सामान्य ऋण समझौते, जैसा भी मामला हो, में दिया गया अर्थ होगा.

"**चूक की वित्तीय घटना**" का अर्थ वित्तीय दस्तावेजों में निम्नलिखित के संबंध में निर्दिष्ट चूक की कोई भी घटना होगी:
(ए) मूलधन के भुगतान में चूक;
(बी) ब्याज के भुगतान में चूक;
(सी) प्रतिभूति हित खतरे में होना;
(डी) संपत्ति पर कुर्की और प्रतिबंध;
(ई) ज़ब्त, राष्ट्रीयकरण आदि; तथा

(एफ) शोधन-अक्षमता/समापन/विघटन/परिसमापन.

"**मौलिक अंतर लेनदार घटना**" का अर्थ किसी भी घटना से होगा, जिसका प्रभाव होगा:

i. किसी भी ऋण की मूल राशि को बदलना (या तो कम करना या बढ़ाना), उसके संबंध में पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान प्रावधानों को बदलना या किसी भी ऋण-परिशोधन अनुसूची को बदलना (या तो बढ़ाना या छोटा करना);
ii. ब्याज दर (ब्याज पुनर्निधारण तिथियों को छोड़कर) को बदलना, किसी भी ऋण के संबंध में ब्याज दर की गणना करने की विधि, या किसी भी ऋण पर ब्याज के भुगतान के समय को बदलना (या तो बढ़ाना या छोटा करना);
iii. सामान्य ऋण/सुविधा समझौते के तहत प्रतिबद्धता की राशि में वृद्धि करना;
iv. उस मुद्रा को बदलना जिसमें किसी ऋण के तहत अग्रिम किया जाता है या जिसमें उधारकर्ता द्वारा चुकौती की आवश्यकता होती है;
v. ऋणदाताओं के लाभ के लिए सृजित सुरक्षा हित के सभी या किसी हिस्से को जारी करना या ऋणदाताओं के लाभ के लिए रखी गई किसी भी निधि को जारी करने की अनुमति देना;
vi. वित्तीय दस्तावेजों या अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा किसी भी अधिकार को सौंपना;
vii. इस समझौते में कोई संशोधन;
viii. प्रमोटरों द्वारा दी गई किसी भी वचनबद्धता या गारंटी में संशोधन;
ix. किसी भी गिरावट से पहले की शर्त की छूट पर कोई निर्णय;
x. चूक की वित्तीय घटना में छूट;
xi. परियोजना लागत में वृद्धि का अनुमोदन, यदि कोई हो;
xii. उपलब्धता अवधि बदलना;
xiii. वित्तीय योजना में कोई बदलाव;
xiv. निधियों के आवेदन की प्राथमिकता में कोई बदलाव, अपर्याप्त निधियों के आवेदन के तरीके में या ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता समझौते के तहत किसी भी भंडार में, या उधारकर्ता द्वारा किसी भी खाते के संचालन को बदलना; तथा
xv. परियोजना के दायरे में कोई बदलाव या परियोजना का कोई विस्तार, या उस उद्देश्य में परिवर्तन जिसके लिए ऋण दिया गया है.

"**स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई**" का अर्थ धारा 4.2 (बी) (सी) (ii) में वर्णित होगा.

"**ऋणों**" का अर्थ व्यक्तिगत ऋणदाताओं द्वारा स्वीकृत की गई/अग्रिम दी गई राशि से होगा.

**"बहुसंख्यक ऋणदाताओं"** का अर्थ उस समय के संबंध में होगा, जब इसको, जिसका अर्थ उन ऋणदाताओं से है, जिनकी सुविधाओं में कुल भागीदारी मूल्य के हिसाब से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) और ऋणदाताओं की संख्या से 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक है.

"**गैर-वित्तीय घटना की चूक**" का अर्थ होगा

ए. निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय दस्तावेजों में निर्दिष्ट चूक की कोई घटना:
(ए) क्रॉस-डिफॉल्ट;
(बी) उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही;
(सी) प्रमोटर विफलता;
(डी) परियोजना का परित्याग;
(ई) गारंटी की अमान्यता;
(एफ) व्यापार की समाप्ति;
(जी) अपर्याप्त बीमा;
(एच) वित्तीय दस्तावेजों की अमान्यता; तथा
(आई) भौतिक प्रतिकूल प्रभाव.

बी. निम्नलिखित से संबंधित वित्तीय दस्तावेजों में निर्दिष्ट चूक की कोई भी घटना, जिसके परिणामस्वरूप (अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) एक सामग्री प्रतिकूल प्रभाव में परिणामित या प्रभावित होती है:

(ए) अनुबंधों और शर्तों के निष्पादन में चूक;
(बी) भ्रामक जानकारी की आपूर्ति;
(सी) संपत्ति की बिक्री, निपटान और हटाया जाना;
(डी) रिसीवर या परिसमापक की नियुक्ति;
(ई) मंजूरी आदि का निरसन;
(च) परियोजना दस्तावेजों की समाप्ति; तथा
(छ) मुकदमेबाजी.

**"अन्य अंतर लेनदार घटना"** का अर्थ किसी भी ऐसी घटना से होगा जो मौलिक अंतर लेनदार घटना नहीं है.

**"पक्षों"** का अर्थ इस समझौते के पक्ष होंगे.

**"निरसन नोटिस"** का अर्थ अनुच्छेद 4.2 (बी) (ई) में वर्णित होगा.

"**प्रतिभूति दायित्व**" का अर्थ है ऋणकर्ता के सभी वित्तीय दायित्वों के तहत वित्तीय दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के प्रति प्रतिभूति हितों द्वारा प्रतिभूत, जैसा कि अनुसूची III में उल्लेख किया गया है.

1.2 **व्याख्या**

ए. इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(ए) पाठ का अर्थ इस समझौते के हिस्से के रूप में लगाया जाएगा;

(बी) एकवचन आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे और प्राकृतिक व्यक्तियों को दर्शाने वाले शब्दों में जहां संदर्भ स्वीकार किया जाएगा, भागीदारी, फर्म, कंपनियां, निगम, संघ, संगठन या अन्य संस्थाएं शामिल होंगी (चाहे अलग इकाई हो या नहीं);

(सी) शीर्षक केवल सुविधा या संदर्भ के लिए हैं और इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और इस समझौते के निर्माण या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगा;

(डी) "शामिल", "शामिल किया जाता है" और "शामिल हैं" शब्दों को "बिना सीमा के" वाक्यांश के बाद माना जाएगा;

(ई) शब्द "विल" (will) का अर्थ एवं प्रभाव वही होगा जो "शेल" (Shall) शब्द का होता है.

(एफ) इस करार में किसी भी संदर्भ, इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के लिए, बिना किसी सीमा के, इस समझौते के संदर्भ के रूप में या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के अन्य समझौते या दस्तावेज, प्रत्येक मामले में हो सकता है, या समय-समय पर, संशोधित, विविध, नवीकृत, सम्मिलित या पूरक हो सकता है और किसी भी वैधानिक प्रावधान के किसी भी संदर्भ में ऐसा प्रावधान और उसके तहत बनाए गए कोई भी नियम और कोई वैधानिक पुन: अधिनियमन संशोधन या प्रतिस्थापन शामिल होगा;

(जी) यहां किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट, निगमित निकाय, सरकार, सरकारी निकाय, प्राधिकरण, एजेंसी, व्यक्तियों का अनिगमित निकाय या संघ शामिल है और इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति के अनुमत उत्तराधिकारी, स्थानान्तरितियों को शामिल करना और सौंपना है;

(एच) एक "माह" एक कैलेंडर महीने या एक कैलेंडर महीने में एक दिन से शुरू होने वाली अवधि के लिए एक संदर्भ है और अगले अगले कैलेंडर महीने में संख्यात्मक रूप से संबंधित दिन से तुरंत पहले दिन पर समाप्त होता है, और "महीने" के संदर्भ होंगे तदनुसार समझा जा सकता है;

(आई) यहां अनुभागों, अनुलग्नकों, प्रदर्शनों, अनुसूचियों और भागों के सभी संदर्भों को, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस अनुबंध के अनुभागों, अनुबंधों, प्रदर्शनों, अनुसूचियों और भागों को संदर्भित करने के लिए माना जाएगा;

(जे) किसी कंपनी या निगम के "समापन", "दिवालियापन", "विघटन" या "शोधन-अक्षमता" का अर्थ इस तरह से लगाया जाएगा कि बिना किसी सीमा के, क्षेत्राधिकार के कानून के तहत किसी भी समकक्ष या समान कार्यवाही को शामिल किया जा सके. जिसके द्वारा ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या अन्य कोई क्षेत्राधिकार जिसमें ऐसी कंपनी या निगम के अस्थायी या स्थायी निलंबन की मांग सहित, परिसमापन, समापन, पुनर्संगठन, विघटन, न्यायिक प्रबंधन, प्रशासन, व्यवस्था, समायोजन, भुगतान सहित देनदारों की स्वैच्छिक या अनैच्छिक सुरक्षा या राहत के साथ व्यवसाय करता है.

(के) इस समझौते में निहित अनुभाग शीर्षक और सामग्री की तालिका केवल संदर्भ की सुविधा के लिए है और इस समझौते के प्रावधानों के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगी;

(एल) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते में, एक निर्दिष्ट तिथि से बाद की निर्दिष्ट तिथि तक की अवधि की गणना में, "से" और "शुरू होने" शब्द का अर्थ "से और शामिल" और "शुरू करना और शामिल करना" है. क्रमशः और शब्द "से", "तक" और "पर समाप्त" प्रत्येक का अर्थ है "से लेकिन शामिल नहीं", "जब तक लेकिन शामिल नहीं" और "समाप्त होने पर लेकिन शामिल नहीं", क्रमश;

(एम) जब भी इस समझौते के प्रावधान के लिए इस समझौते के लिए किसी पक्ष द्वारा अनुमोदन या सहमति की आवश्यकता होती है और इस तरह के अनुमोदन या सहमति की अधिसूचना लागू समय सीमा के भीतर वितरित नहीं की जाती है, तब तक, जब अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जिस पक्ष की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता होती है यह माना जाएगा कि उसने सहमति या अनुमोदन को रोक रखा है.

(एन) शब्द "अन्य", "या अन्यथा" और "जो कुछ भी" को विशेष रूप से संदर्भित किसी भी पूर्ववर्ती शब्दों या मामलों की व्यापकता पर व्याख्या के नियम (ejusdem generis) या किसी सीमा के रूप में नहीं माना जाएगा;

(ओ) शब्द "यहां", "इस से" और "इसके अधीन", और समान प्रकार के शब्दों का अर्थ इस अनुबंध को पूरी तरह से संदर्भित करने के लिए लगाया जाएगा, न कि इसके किसी विशेष प्रावधान के लिए;

(पी) किसी विशेष लिंग को बताने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होने चाहिए;

(क्यू) "**पक्ष**" के संदर्भ का अर्थ है इस समझौते का एक पक्ष और तदनुसार "**पक्षों**" के संदर्भों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(आर) ऋणदाताओं या ऋणदाताओं की एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सहमति की "आवश्यकता का मतलब प्रत्येक ऋणदाता या ऋणदाता" एजेंट की पूर्व लिखित सहमति होगी;

(एस) इसके तहत लिखित अनुसूचियों में निहित प्रावधान इस तरह से प्रभावी होंगे जैसे कि वे विशेष रूप से यहां निर्धारित किए गए थे;

बी. इस करार के किसी प्रावधान और किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, यहाँ निर्दिष्ट मामलों के संबंध में इस समझौते के प्रासंगिक प्रावधान मान्य होंगे.

1.3 **उधारकर्ता के खिलाफ अधिकार प्रभावित नहीं**

इस करार में कुछ भी वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के विरूद्ध ऋणदाताओं के किसी भी अधिकार को बदलने, संशोधित करने और खराब करने का इरादा नहीं है.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुच्छेद II

## परामर्श और संचार

### 2.1 सामान्य परामर्श

ऋणदाता और प्रतिभूति ट्रस्टी सहमत हैं कि परिस्थितियों में उनकी भागीदारी की सीमा तक: (i) वे उधारकर्ता, परियोजनाओं, प्रतिभूत संपत्ति या अन्य ऋणदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई भी कार्रवाई करने से पहले विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक-दूसरे को उचित अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे. और (ii) वे समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति और सामान्य रूप से उधारकर्ता के मामलों के संबंध में एक-दूसरे से परामर्श करेंगे.

### 2.2 सूचनाओं का आदान-प्रदान

ऋणदाता उचित प्रयासों का उपयोग करेंगे और अन्य ऋणदाताओं और ऋणदाताओं के एजेंट को किसी भी सामग्री के बारे में प्रतिकूल जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएंगे:

i. परियोजनाओं का संचालन या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति या व्यवसाय;

ii. उधारकर्ता की देय होने पर ऋण का भुगतान करने की क्षमता;

iii. प्रतिभूत संपत्ति (या उसकी स्थिति) या प्रतिभूति दस्तावेजों द्वारा या उसके अनुसार दिया गया प्रतिभूति ब्याज;

iv. किसी भी वित्तीय दस्तावेज के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रमोटर की विफलता;

v. परियोजनाओं के लिए सामग्री या अन्य सुविधाओं या सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली कोई भी परिस्थिति, या जिस उद्देश्य के लिए ऋण अग्रिम रूप से दिया गया था;

vi. चूक की संभावित घटना और/या चूक की घटना होना; तथा

vii. उधारकर्ता, प्रमोटरों, सुरक्षित संपत्ति या सुविधाओं से संबंधित कोई अन्य मामला, बिना किसी सीमा के, (ए) एक नामित निदेशक से एक ऋणदाता द्वारा प्राप्त सामान्य हित की जानकारी और (बी) सामान्य हित के किसी भी सामग्री संचार (किसी भी सहित) सरकारी प्राधिकरण) सुविधाओं, प्रतिभूत संपत्ति, परियोजनाओं या किसी भी लेनदेन दस्तावेजों के संबंध में.

बशर्ते, इस खंड (2.2) में यहां परिकल्पित आवश्यकताओं के बावजूद, ऋणदाता ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो गोपनीय है और/या अन्य ऋणदाताओं के लिए प्रासंगिक नहीं है. इसके अलावा, ऋणदाता उनके द्वारा सद्भावना से दी गई जानकारी की अशुद्धि, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

### 2.3 कोई निर्भरता नहीं

इस करार के किसी भी अन्य प्रावधान के विपरीत होने के बावजूद भी, यह स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि कोई भी ऋणदाता किसी अन्य ऋणदाता (i) पर या उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी की सटीकता या पूर्णता की जांच करने या सत्यापित करने के लिए निर्भर नहीं है, या निर्भर नहीं रहेगा. उधारकर्ता की ओर से, या उसके किसी प्रमोटर की ओर से, या किसी ऋणदाता द्वारा किसी अन्य ऋणदाता को, यहां की तारीख को या उससे पहले या इसके बाद धारा 2.2 के अनुसार उपलब्ध कराया गया; या (ii) उधारकर्ता, उसके किसी प्रमोटर, परियोजनाओं, या किसी अन्य व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की समीक्षा या मूल्यांकन करना.

ऋणदाताओं ने किसी अन्य ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी या अपेक्षित या व्यक्त किए गए विचारों पर भरोसा किए बिना, अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर सुविधाओं को स्वीकृत या वितरित करने का निर्णय लिया है या निर्धारित किया है. ऋणदाता एतद्द्वारा सहमत हैं कि वे किसी भी अन्य

ऋणदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही नहीं लाएंगे या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाए गए किसी भी कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति (कानून के तहत आवश्यक होने के अलावा) को शामिल नहीं करेंगे, वित्तीय दस्तावेजों में निहित किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, वाचा या समझौते से पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मामले में या किसी भी परियोजना दस्तावेज या प्रमाण पत्र को यहां या उसकी शर्तों के अनुसार वितरित किया जाता है.

2.4 **अधिक भुगतान की सूचना**

ऋणदाता, अन्य ऋणदाताओं तथा ऋणदाताओं के एजेंट को प्रतिभूत दायित्वों के संबंध में प्राप्त किसी भी भुगतान के बारे में सूचित करेंगे, जो कि ऐसे ऋणदाता को उस राशि से अधिक होने के लिए जाना जाता है जिसके लिए ऐसे ऋणदाता वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार हकदार हैं.

2.5 **विचारों का आदान-प्रदान**

ऋणदाता सहमत हैं कि (ए) इस करार में कहीं और निर्धारित अपने संबंधित दायित्वों के अलावा, परिस्थितियों में व्यावहारिक सीमा तक, वे किसी भी कार्रवाई के बारे में एक-दूसरे से परामर्श करेंगे/कर रहे हैं/करने का प्रस्ताव है, जो उधारकर्ता, परियोजनाएं, उधारकर्ता का व्यवसाय, प्रतिभूत संपत्ति, प्रतिभूति दस्तावेजों के तहत बनाए गए प्रतिभूति हित,या प्रतिभूत दायित्व; और (बी) किसी भी ऋणदाता के अनुरोध पर प्रभावित कर सकता है, वे उधारकर्ता की वित्तीय या परिचालन स्थिति, परियोजनाओं, उधारकर्ता के व्यवसाय, प्रतिभूत संपत्ति, या प्रतिभूति दस्तावेजों द्वारा या उसके अनुसार बनाए गए प्रतिभूति हित में किसी भी बदलाव पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे अन्यथा प्रतिभूत संपत्ति, निर्माण, परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव, उधारकर्ता के व्यवसाय, या प्रतिभूत दायित्वों के समय पर भुगतान की संभावनाओं के संबंध में विचार करेंगे.

2.6 **ऋणदाताओं की बैठक**

i. एक ऋणदाता, घटना के बाद किसी भी समय तथा चूक या चूक की घटना के जारी रहने के दौरान, ऋणदाताओं के एजेंट से उचित समय के अंदर, या ऐसे अनुरोध पर, ऋणदाताओं की बैठक या बैठक बुलाने के लिए एजेंट अनुरोध कर सकता है.

ii. बैठक बुलाने वाले ऐसे प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख (जो इस तरह के नोटिस की तारीख के बाद 15 दिनों से कम और 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, जब तक कि सभी ऋणदाताओं द्वारा सहमति न हो) उसका स्थान (जो ऋणदाता द्वारा दी गई सूचना से चयनित होगा ) तथा विचार विमर्श किए जाने वाले मुद्दों का एजेंडा बैठक में रखा जाता हैं . प्रत्येक ऋणदाता को ऐसी किसी भी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति (बिना किसी सीमा के, एक अन्य ऋणदाता सहित) को नियुक्त करने का अधिकार होगा.

2.7 **छूट, सहमति तथा संशोधन; अन्य कार्रवाई**

(ए) किसी भी कार्रवाई, छूट, सहमति, अनुदेश, निर्देश, प्राधिकरण या अनुमोदन के तहत, या किसी भी संशोधन, आशोधन या पूरक, वित्तीय दस्तावेजों या उनमें से किसी के अनुसार क्रमशः, या प्रतिभूति दस्तावेजों के तहत प्रतिभूति हित की रिहाई के अंतिम निपटान तिथि (जिस तिथि पर ऋणदाता एजेंट को सभी उधारदाताओं से उनके संबंधित बकाया की संतुष्टि की पुष्टि प्राप्त होती है), के बाद उधारकर्ता का अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ऋणदाता एजेंट स्वयं और/या किसी भी ऋणदाता के अनुरोध पर धारा 2.6(ii) के अनुसार एक बैठक बुलाएगा या संबंधित दस्तावेजों के संचलन के माध्यम से ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त कर सकता है ताकि ऋणदाताओं को ऐसी कार्रवाई, छूट ,सहमति, अनुदेश, निर्देश, प्राधिकारी, या अनुमोदन, या संशोधन, आशोधन, या वित्तीय दस्तावेजों के पूरक या प्रतिभूत दस्तावेजों के अनुसार बनाए गए प्रतिभूत हित को जारी करने पर विचार करने की दिशा में सक्षम बनाया जा सके.

(बी) कोई संशोधन, अशोधन तथा पूरक,किसी वित्तीय दस्तावेज के अनुसार अथवा किसी भी कार्रवाई, छूट, सहमति, अनुदेश, निर्देश, प्राधिकरण, या अनुमोदन के तहत वित्तीय दस्तावेज होगा.

i. आधारभूत अंतर-ऋणदाता इवेंट के संबंध में सहमति केवल उधारदाताओं की सर्वसम्मति के अनुमोदन के साथ कि जाएगी.

ii. अन्य अंतर-ऋणदाता इवेंट के संबंध में सहमति हो सकती है तथा इसे बहुमत, उधारदाताओं के अनुमोदन से किया जा सकता है.

(सी) संदेह की स्थिति से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो प्रवर्तन कार्रवाई और न ही प्रतिभूति दायित्वों की तीव्रता (या उसका कोई हिस्सा) एक अन्य अंतर-ऋणदाता गठित करेगा, जो कि अनुच्छेद 4.2 द्वारा शासित होगा.

2.8 **समिति के निर्णयों की बाध्यकारिता**

समय-समय पर जारी/संशोधित एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर आरबीआई के ढांचे के अनुसार गठित समिति में अधिकांश ऋणदाताओं द्वारा सहमत निर्णयों को उधारकर्ता के खाते के पुनर्गठन और सुधार के लिए आगे बढ़ने का, आधार माना जाएगा तथा इस समझौते की शर्तों के तहत सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा. यदि समिति वसूली के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, तो किसी भी प्रासंगिक कानूनों या अधिनियमों के तहत बाध्यकारी निर्णय के लिए न्यूनतम मानदंड,यदि कोई हो,तो लागू होंगे. समिति समय-समय पर जारी/संशोधित/पूरक/संशोधित एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर आरबीआई ढांचे में आरबीआई द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुच्छेद III

## सहभाजन: न्यायसंगत उपचार

### 3.1 सामान्य साझा करार

(ए) सभी ऋणदाता स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं तथा सहमत हैं कि यह उधारदाताओं का विचार है, उनकी संबंधित प्रतिबद्धताएं, प्रवर्तन कार्रवाई के अनुसार प्रतिभूति के प्रवर्तन की आय, किसी भी संपत्ति की मांग या अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवजे की राशि प्रतिभूति दस्तावेजों, अन्य सभी राजस्व, नकदी, निवेश तथा उधारकर्ता की अन्य संपत्ति जो ऋणदाताओं के अनुसार किसी भी समय देय तथा प्रतिभूत दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध हैं, प्रतिभूति हित द्वारा कवर किया गया है, जो धारा 3.5 के अधीन होगा. प्रतिभूत दायित्वों के निर्वहन के लिए आवेदन किया जाएगा तथा प्रतिभूत उधारदाताओं के बीच यथानुपात साझा किया जाएगा, तथा ऋणदाता, आपस में सहमत हैं कि, इस तरह की आय, राजस्व, नकद, निवेश और अन्य संपत्ति इसी आधार पर साझा की जाएगी. प्रत्येक ऋणदाता एतद्वारा सहमत है कि प्रतिभूति ट्रस्टी को उपरोक्त विचार तथा करार के अनुसार वित्त पोषित दस्तावेजों के अनुसार समय-समय पर उनके द्वारा धारित सभी धन का वितरण करने का निर्देश देगा.

(बी) प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार बनाए गए प्रतिभूति हित में शामिल संपत्ति से संबंधित सभी शीर्षक विलेख तथा दस्तावेज प्रतिभूति ट्रस्टी के पास तथा प्रतिभूति ट्रस्टी की अभिरक्षा में रहेंगे (जहां यह मौजूदा बंधक को प्रभावित करने की संभावना है), ऋणदाताओं तथा प्रतिभूति ट्रस्टी के लाभ के रूप में एक या अधिक ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक होने पर, जाँच प्रदान करेगा अथवा उन्हें उनकी रसीद के संबंध में उक्त शीर्षक विलेख और दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा.

(सी) उधारदाताओं द्वारा किसी भी संपत्ति को प्रतिभूति संपत्ति का हिस्सा बनाने वाली, किसी भी संपत्ति को बेचने के लिए उधारदाताओं द्वारा दी गई लिखित अनुमति के अनुसार, यदि उधारकर्ता ऐसी किसी भी संपत्ति को बेचता है, तो ऋणदाताओं की सहमति से बिक्री से प्राप्त होने वाली आय तथा ऐसी परिसंपत्तियों का ऋणी द्वारा अतिरिक्त पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने तथा उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी एवं ऐसी सहमति के अभाव में, बिक्री की आय का उपयोग प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा विनियोग के लिए उसी तरीके से किया जाएगा जैसे इसके खंड 3.1 (ए) में प्रदान किया गया है.

(डी) जब तक उधारदाताओं के बीच लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाती है या वित्त पोषित दस्तावेजों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाती है, तब तक अन्य उधारदाताओं के कारण प्रतिभूति दायित्वो, बिना पूर्व भुगतान तथा आनुपातिक राशि का पूर्व भुगतान किए बिना,उधारकर्ता को, किसी भी ऋणदाता को प्रतिभूति दायित्वों के किसी भी हिस्से की प्रारंभिक अदायगी की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ई) उपरोक्त खंड (डी) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, लेकिन ऋणदाताओं द्वारा वित्त पोषित दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के साथ अन्यथा सहमति के अधीन, कोई भी ऋणदाता उनके कारण प्रतिभूति दायित्वों के किसी भी पूर्व भुगतान को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा.

### 3.2 समान उपचार

उपरोक्त धारा 3.1 में निहित समझौते के अनुसार, ऋणदाता सहमत हैं कि वे अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी मुआवजे या प्रतिफल की मांग चाहे वह (एस्क्रो बैंक को देय एस्क्रो बैंक खर्च के अतिरिक्त उधारदाताओं एजेंट को ऋणदाताओं एजेंट का देय शुल्क तथा प्रतिभूति ट्रस्टी को प्रतिभूति ट्रस्टी का देय शुल्क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नकद या वस्तु के रूप में, किसी भी सहमति, छूट, संशोधन, अशोधन, अनुमति या इसी तरह के अनुमोदन या किसी भी वित्तपोषित दस्तावेजों के तहत

कार्रवाई के संबंध के रूप में हो जब तक कि अन्य उधारदाताओं का मुआवजे या प्रतिफल कि पेशकश न कि गई हो जो कि कम अनुकूल न हो स्वीकार नहीं करेंगे.

3.3 **गैर आनुपातिक भुगतानों का पुनर्वितरण**

ऋणदाता सहमत हैं कि उनके द्वारा देय प्रतिभूति दायित्वों के संबंध में राशियों का भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में, (i) चाहे वह ग्रहणाधिकार या प्रतिदावे के प्रयोग के माध्यम से या (ii) वसूली से (चाहे कुर्की, फौजदारी या अन्यथा के माध्यम से) प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार बनाए गए प्रतिभूति हित या (iii) किसी भी राजस्व, नकद, निवेश, या उधारकर्ता की अन्य संपत्ति से या (iv) किसी अदालत, प्रशासनिक निकाय या सरकारी न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाई के परिणामस्वरूप अथवा उसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार बनाए गए प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिए या (v) इस तरह के अन्य भुगतान प्राप्त करेंगे; इस तरह के भुगतान को इस करार की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए.

3.4 **गैर-निर्धारित भुगतान साझा करना**

धारा 3.5 के अधीन, प्रत्येक ऋणदाता इस बात से सहमत होता है कि यदि कोई ऋणदाता ("प्राप्तकर्ता ऋणदाता") प्रतिभूति दायित्वों के संबंध में अथवा इसके कारण किसी भी राशि का भुगतान प्राप्त करता है, जिसमें बिना किसी परिसीमन के, प्रयोग के उत्पन्न होने वाला कोई भी भुगतान शामिल है. बैंकर्स ग्रहणाधिकार या प्रतिदावा या प्रतिभूति दस्तावेजों या किसी अन्य भुगतान के अनुसार बनाए गए प्रतिभूति ब्याज की वसूली (चाहे कुर्की, फौजदारी या अन्यथा के माध्यम से) से, तथा ऐसे भुगतान नियमित रूप से नियत भुगतान नहीं है (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) (पूर्वोक्त में से कोई भी) भुगतानों को यहां "गैर-अनुसूचित भुगतान" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जो प्राप्तकर्ता ऋणदाता वितरण के लिए इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति ट्रस्टी को तुरंत ऐसी राशि भेज देगा. इस प्रयोजन के लिए, "**नियमित रूप से निर्धारित भुगतान**" का अर्थ है, देय राशि के संबंध में तथा एक ऋणदाता को उसके प्रतिभूति दायित्वों (मूलधन, ब्याज, शुल्क और अन्य शुल्कों सहित) के संबंध में भुगतान, जो स्वयं पर अथवा स्वयं के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रदान किया जाता है. हालांकि, वित्त पोषित दस्तावेजों के तहत निर्दिष्ट समय या निर्दिष्ट परिशोधन अनुसूची के अनुसार किसी भी स्थिति में, नियमित रूप से निर्धारित भुगतान में शामिल नहीं होगा (i) कोई भुगतान बकाया है या डिफ़ॉल्ट की घटना के कारण किया गया है (जिसमें, बिना किसी सीमा के, कोई डिफ़ॉल्ट ब्याज या विलंब शुल्क शामिल है), (ii) कोई पूर्व भुगतान, (iii) कोई भी वित्तीय दस्तावेजों के तहत प्रतिभूति दायित्वों की शीघ्रता के बाद किया गया भुगतान या (iv) वसूली की बिक्री से प्राप्त कोई भी धन या प्रतिभूति संपत्ति के सभी या किसी हिस्से को किया गया भुगतान .

3.5 **भुगतान का आवंटन**

प्रतिभूति दस्तावेजों में निहित या उसके आधार पर या उससे उत्पन्न अथवा निहित होने के बावजूद, वितरण के लिए उपलब्ध समस्त धन प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाएगा.

(i) सर्वप्रथम, प्रतिभूति में निहित ट्रस्टों,शक्तियों तथा कर्तव्यों के प्रयोग अथवा प्रदर्शन में प्रतिभूति संपत्ति के संरक्षण, बिक्री या वसूली के बारे में अन्यथा होने वाली सभी लागतों तथा खर्चों के भुगतान के लिए, इस करार के तहत ट्रस्टी या उधारदाताओं की ओर से प्रतिभूत दस्तावेज तथा वित्तपोषित दस्तावेजों के संदर्भ में उस पर देय ब्याज.

(ii) द्वितीय,ऋणदाताओं को देय फीस के भुगतान के लिए - एजेंट , प्रतिभूति ट्रस्टी तथा एस्क्रो बैंक;

(iii) तृतीय :

(ए) वितरण के लिए उपलब्ध धन की स्थिति में प्रत्येक ऋणदाता को भुगतान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रत्येक ऋणदाता को देय प्रतिभूति दायित्वों की समस्त राशि, प्रत्येक ऋणदाता को संबंधित प्रतिभूति दायित्व के अंतर्गत पूर्ण रूप से भुगतान में एक साथ लागू की जाएगी.

(बी) वितरण के लिए उपलब्ध धन के अपर्याप्त होने की स्थिति में प्रत्येक ऋणदाता को भुगतान करने के लिए, क्रमशः प्रत्येक ऋणदाता को देय प्रतिभूति दायित्वों की समस्त राशि, भुगतान के लिए बिना किसी वरीयता या प्राथमिकता के व्यावहारिक रूप से लगभग यथानुपात लागू की जाएगी.

(iv) अंत में, अधिकांश उधारदाताओं के अनुमोदन के अधीन, ऋणी अथवा कोई अन्य व्यक्ति शेष राशि से, अधिशेष धन प्राप्त करने का हकदार है.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुच्छेद IV

## प्रवर्तन कार्रवाई का सहयोग तथा योजना एवं समन्वय

### 4.1 प्रवर्तन कार्रवाई का समन्वय

ऋणदाताओं का उद्देश्य उनके वित्तपोषित दस्तावेजों के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण रखना है. इस तरह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी ऋणदाता जो इसके लिए देय सुविधाओं में वृद्धि लाने का प्रस्ताव करता है अथवा किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई को अधिकृत करने या निर्देशित करने का प्रस्ताव करता है, जहां तक संभव हो, धारा 4.2 में निर्दिष्ट एक समन्वित तरीके से समय-समय पर जारी /संशोधित /अशोधित / पूरक एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर आरबीआई के ढांचे के प्रावधान के अनुसार समिति,अन्य ऋणदाताओं के परामर्श से ऐसी कार्रवाई करेगी,जो उपरोक्त मामले को संदर्भित करने के बाद होगी.

### 4.2 ऋणदाताओं द्वारा शीघ्रता तथा प्रवर्तन कार्रवाई से संबंधित प्रावधान

(ए) यदि उनके संबंधित वित्त पोषित दस्तावेजों के तहत बकाया की कोई घटना होती है और फिर जारी रहती है, तो प्रत्येक ऋणदाता को अपने अन्य अधिकारों तथा किसी अन्य ऋणदाता के अधिकारों के लिए उधारकर्ता के खिलाफ अपने दावों को लागू करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो ऐसे ऋणदाता की सुविधाओं के असंवितरित हिस्से को समाप्त घोषित करना तथा इसकी सभी सुविधाओं पर मूलधन और किसी भी अर्जित ब्याज की घोषणा करना तथा ऐसे ऋणदाता के लिए वित्तीय दस्तावेजों या प्रतिभूत दस्तावेजों के तहत सभी प्रतिभूति दायित्वों की घोषणा करना. किसी भी प्रकार की प्रस्तुति, मांग, विरोध या अन्य नोटिस के बिना तत्काल देय तथा देय होना; बशर्ते, किसी भी ऋणदाता द्वारा ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऋणदाता इस धारा के खंड (बी) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता है.

(बी) नीचे दी गई प्रक्रिया तथा आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा कोई प्रवर्तन कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी:

(ए) यदि कोई वित्तीय चूक की घटना हुई हो और फिर जारी रहती हैं तो प्रत्येक ऋणदाता, शेष सभी ऋणदाताओं को 3 (तीन) दिनों का नोटिस देने के बाद, साथ ही साथ अपने अन्य अधिकारों तथा अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना उन्हे अधिकार होगा कि किसी अन्य ऋणदाता को ऋणी के खिलाफ अपने दावों को कानूनी रूप से लागू करने ऐसे ऋणदाता की उपलब्ध प्रतिबद्धता को समाप्त करने की घोषणा करने के लिए और ऐसे ऋणदाता को वित्तपोषित दस्तावेजों के तहत सभी या किसी भी प्रतिभूति दायित्वों को बिना प्रस्तुति, मांग, विरोध के तुरंत देय होने की घोषणा करना या किसी भी प्रकार का अन्य नोटिस और प्रवर्तन कार्रवाई करना.

(बी) यदि चूक की कोई गैर-वित्तीय घटना होती है या जारी रहती हैं,तो प्रत्येक ऋणदाता को अपने अन्य अधिकारों तथा किसी अन्य ऋणदाता या ऋणदाता के अधिकारों के लिए उधारकर्ता के खिलाफ अपने दावों को लागू करने का अधिकार होगा, इस तरह के ऋणदाता की उपलब्ध प्रतिबद्धता को समाप्त करने की घोषणा करने के लिए, ऐसे ऋणदाता को वित्तपोषित दस्तावेजों के तहत बकाया सभी प्रतिभूति दायित्वों को बिना किसी प्रस्तुति, मांग, विरोध या किसी भी तरह के अन्य नोटिस के तुरंत देय होगा और कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए, बशर्ते कि किसी भी ऋणदाता द्वारा ऐसी कोई शीघ्रता या घोषणा या प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा ऋणदाता अनुच्छेद 4.2(बी)(सी) में निर्धारित प्रक्रिया जैसा कि उपयुक्त है का अनुपालन करता है,और ऐसी प्रक्रिया को लागू तथा पूरा किया गया है.

(सी) चूक की कोई गैर-वित्तीय घटना होने पर, किसी भी ऋणदाता द्वारा या उधारदाताओं के एजेंट या प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा ऐसे ऋणदाता की ओर से नीचे दी गई प्रक्रिया और आवश्यकताओं का पालन करने के बाद ही प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जा सकती है:

i. कोई भी ऋणदाता जो कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई करना चाहता है ("**प्रवर्तन के इच्छुक पक्षकार")** अन्य सभी उधारदाताओं, ऋणदाताओं के एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी को **अनुसूची IV** ("**प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस")** में निर्धारित प्रपत्र में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के अपने इरादे की सूचना देगा. इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस उस विशेष प्रवर्तन कार्रवाई को निर्दिष्ट करेगी, जिसे प्रवर्तन का इच्छुक पक्ष प्रस्तावित करता है. प्रवर्तन के इच्छुक पक्षकार से इस तरह का नोटिस प्राप्त होने के बाद, ऋणदाताओं का एजेंट इस तरह के प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 2.6 के अनुसार 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऋणदाताओं की एक बैठक बुलाएगा. यदि प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस में प्रवर्तन के इच्छुक पक्षकार द्वारा या बहुसंख्यक ऋणदाताओं द्वारा ऐसी गैर-वित्तीय चूक की घटना के क्रम में दिए गए प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाता है, तो सभी ऋणदाता संयुक्त रूप से ऋणदाताओं के एजेंट तथा प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा इस तरह की अनुमोदित कार्रवाई को संयुक्त रूप से करवाएंगे.

ii. उपरोक्त के होते हुए भी, यदि, उपरोक्त उप-पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि की समाप्ति तक, अधिकांश ऋणदाता तत्कालीन बकाया प्रतिभूति दायित्वों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस या कार्रवाई का कोई अन्य तरीका या प्रस्तावित कार्रवाई की कार्यप्रणाली को मंजूरी नहीं देते हैं, तो प्रवर्तन के इच्छुक पक्षकार तथा उक्त कार्रवाई को मंजूरी देने वाला कोई भी ऋणदाता उक्त तीस 30 (तीस) दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपने प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस में प्रस्तावित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा ("**स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई**").

(डी) यदि कोई ऋणदाता, या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले ऋणदाताओं के समूह ने उपरोक्त अनुच्छेद 4.2 (बी) (सी) (ii) के अनुसार स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उसके बाद एक नई परामर्श प्रक्रिया जिसके तहत अधिकांश ऋणदाताओं के प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक अलग कार्यप्रणाली पर सहमत होने पर, इस तरह की कार्रवाई को सभी उधारदाताओं द्वारा निर्धारित प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में माना जाएगा ("**प्रवर्तन कार्रवाई को नियंत्रित करना**") और उन ऋणदाताओं तथा स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई पर मुकदमा चलाने में शामिल किसी भी अन्य ऋणदाताओं को इसके बाद स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई को नियंत्रित करने वाली प्रवर्तन कार्रवाई के साथ पूरी तरह से तालमेल बैठाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उसे करने के लिए कदम उठाएं और यदि ऐसा तालमेल संभव नहीं है, तो स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई पर मुकदमा चलाने में शामिल ऐसे ऋणदाता इस तरह से स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई का संचालन करेंगे ताकि नियंत्रण प्रवर्तन कार्रवाई के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध की स्थिति न हो या स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई को छोडकर नियंत्रण प्रवर्तन कार्रवाई में शामिल हों.

(ई) प्रवर्तन कार्रवाई के नोटिस को प्रवर्तन कार्रवाई के इच्छुक पक्षकार द्वारा निरस्त किया जा सकता हैं जिसके द्वारा इस तरह के नोटिस को प्रत्येक प्रतिभूति ट्रस्टी तथा ऋणदाता एजेंट को अनुसूची **V (निरस्तीकरण नोटिस)** में निर्धारित फॉर्म में नोटिस के वितरण द्वारा जारी किया है. ऐसा कोई भी निरस्तीकरण नोटिस तब प्रभावी होगा जब ऋणदाता एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी को निरस्तीकरण नोटिस प्राप्त होगा.

(एफ) यह स्पष्ट किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई सरफेसी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.

4.3 **प्रवर्तन कार्रवाई की सूचना**

इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करने वाला प्रतिभूति ट्रस्टी तुरंत ऋणदाताओं तथा ऋणदाताओं के एजेंट को इस तरह की कार्रवाई के विवरण तथा उसके संबंध में जारी किसी भी नोटिस की प्रतियों के बारे में सूचित करेगा.

4.4 **प्रवर्तन का तरीका**

धारा 4.2 के अधीन, यदि ऋणदाता प्रतिभूति ट्रस्टी को निर्देश देते हैं या ऋणदाता का एजेंट प्रतिभूति प्रवर्तन का विकल्प चुनता है, तो प्रतिभूति ट्रस्टी या ऋणदाता एजेंट(जैसा भी मामला हो) केवल ऋणदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जैसा वह उचित समझे ऐसा कर सकता है. प्रतिभूति प्रवर्तन के संबंध में, ऋणदाता केवल प्रतिभूति ट्रस्टी या ऋणदाता के एजेंट के माध्यम से कार्य करेंगे, जैसा भी मामला हो, उनमें से प्रत्येक इस करार के तहत अधिकृत है.

4.5 **सहयोग और योजना**

(ए) ऋणदाता स्वीकार करते हैं कि उनमें से किसी एक के द्वारा की गई कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई अन्य ऋणदाताओं के हितों पर सीधा प्रभाव डालेगी. तदनुसार, यह सहमति हुई है कि वे किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई की कार्यविधि और आचरण पर सर्वसम्मति से सहमति प्राप्त करने की, जहां तक संभव हो, कोशिश करेंगे.

(बी) प्रवर्तन कार्रवाई करने का प्रस्ताव देने वाला ऋणदाता (i) ऐसी कार्रवाई के कार्यविधि और आचरण के लिए एक योजना विकसित करना जो अन्य ऋणदाताओं के हितों के लिए हानिकारक नहीं है और (ii) इस तरह की कार्रवाई के कार्यान्वयन के पहले और उसके दौरान, इस तरह की कार्रवाई के संबंध में प्राप्त निवल राशि को अधिकतम करने के उद्देश्यों के लिए इस तरह की कार्रवाई के कार्यविधि और आचरण के संबंध में सद्भाव और पारस्परिक सहयोग की भावना में किसी भी मतभेद को हल करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा. प्रत्येक ऋणदाता स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि, विभिन्न न्यायालयों में उधारकर्ता या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के अपने अधिकार के बावजूद, सभी ऋणदाताओं के हितों को समन्वित कार्रवाई द्वारा पूरा किया जा सकता है.

जिस सीमा तक किसी ऋणदाता को प्रतिभूत संपत्ति के सभी या किसी हिस्से को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, अन्य लोग ऐसी प्रवर्तन कार्रवाई करने में सहयोग करेंगे, जिस सीमा तक कानूनी रूप से ऐसा करने की अनुमति है, जब तक, ऐसे ऋणदाता के विचारपूर्ण निर्णय में, इस तरह के सहयोग और प्रवर्तन कार्रवाई के कारण बकाया जमानत दायित्व राशि का पूरा भुगतान करने से पहले या ऐसे सहयोगी ऋणदाता की किसी नीति का उल्लंघन या ऐसे ऋणदाता के हितों के प्रतिकूल होने के मामले में प्रतिभूत संपत्ति के सभी या किसी हिस्से के मूल्य में हानि, निर्मोचन या कमी नहीं होगी.

4.6 **संयुक्त कार्रवाई के लिए वरीयता**

अनुच्छेद 4 में वर्णित परामर्श प्रक्रियाओं और अधिसूचना के संबंध में और उसके अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करने के संबंध में, ऋणदाता अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ऋणदाताओं के हित में प्रतिभूति के प्रवर्तन से जुड़े सभी मामले में बिना किसी सीमा के शामिल, समय से उचित कार्रवाई की जाएगी, उधारकर्ता के रिसीवर की नियुक्ति (या रिसीवर और प्रबंधक और इसी तरह के अधिकारी) या उसकी किसी भी संपत्ति इस इरादे से कि:

i. प्रवर्तन कार्रवाई जहां तक संभव हो उसी पद्धति से लागू की जाएगी;

ii. बिक्री की किसी भी शक्ति के प्रयोग के मामले में, प्रत्येक ऋणदाता ऐसे विमोचन या अन्य आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगा, जिससे खरीदार को भार मुक्त वैध हक सौंपा जा सके;

iii. एक रिसीवर की नियुक्ति के मामले में, यदि संभव हो तो ऋणदाताओं द्वारा एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन यदि दो या अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो वे जहां तक संभव हो, इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे;

iv. प्रवर्तन कार्रवाई का खर्च ऋणदाताओं द्वारा यथानुपात उनके शेयर के आधार पर साझा किया जाएगा.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

**अनुच्छेद V**

**न्यायिक प्रक्रियाएं**

5.1 **सामान्य**

यदि कोई ऋणदाता प्रवर्तन कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है, तो ऋणदाता सहमत होते हैं कि वे इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने में इस अनुच्छेद के नियमों और प्रावधानों का पालन करेंगे . ऋणदाता:

(i) अन्य ऋणदाताओं को कार्रवाई को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के बारे में लिखित रूप में पूरी तरह से सूचित करेगा, जिसमें उनके संबंध में जारी किए गए कोई निर्णय, आदेश या दी गई व्यवस्था शामिल हैं;

(ii) किसी भी ऋणदाताओं के किसी भी अनुरोध की प्राप्ति के बाद उचित अवधि के भीतर लिखित रूप में, अनुरोध किए गए मामलों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा; तथा

(iii) अन्य ऋणदाताओं को अनुरोध किए जाने पर ऐसी कार्यवाही के संबंध में अदालत, प्रशासनिक एजेंसी या ट्रिब्यूनल को प्रदान की गई या उनके द्वारा निर्मित किसी भी याचिका या दस्तावेज की प्रतियां अन्य ऋणदाताओं द्वारा, प्रस्तुत करने या प्राप्त होने के बाद प्रदान करें; तथा

(iv) ऐसी कार्रवाई करें और अदालत, प्रशासनिक एजेंसी या सरकारी ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह की कार्रवाई के संबंध में अभियोजन पक्ष (और यदि आवश्यक हो, अपील) की सहायता के लिए उचित रूप से अनुरोध किए जाने पर ऐसी जानकारी प्रदान करें.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुच्छेद VI

## विविध

6.1 **अभ्यावेदन एवं वारंटी**

प्रत्येक ऋणदाता एतद्द्वारा अन्य ऋणदाताओं का व्यफ्देशन व वारंटी करता है कि (i) इस करार का निष्पादन उसकी शक्तियों के भीतर है और उसे विधिवत अधिकृत किया गया है (ii) यह करार कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है जो इसकी शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य है, और (iii) यह अनुबंध किसी भी लागू कानून, या इसके निर्माण से संबंधित दस्तावेजों, संगठन, या इसके कॉर्पोरेट मामलों के संचालन के साथ किसी भी महत्वपूर्ण संबंध में विरोध नहीं करता है; और इसने इस करार की शर्तों के निष्पादन के लिए सभी आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली है.

6.2 **नोटिस**

यहाँ प्रस्तुत के तहत दी जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और उन्हें तामील माना जाएगा:

i. यदि व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द किया गया हो तो सुपुर्दगी के समय;

ii. यदि पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया है तो, डाक के सामान्य क्रम में जब पंजीकृत पत्र वितरित किया जाएगा चाहे वास्तव में सुपुर्द किया गया हो या नहीं;

iii. यदि कूरियर सेवा द्वारा भेजा गया, (ए) एक ओवरनाइट कूरियर के साथ जमा करने के बाद एक (1)व्यावसायिक दिन यदि डिलीवरी के लिए; और (बी) यदि विदेश में सुपुर्दगी के लिए है तो, अंतरराष्ट्रीय कूरियर के साथ जमा करने के बाद पांच (5) व्यावसायिक दिनों के बाद; तथा

iv. यदि फ़ैक्स प्रसारण द्वारा भेजा गया है, तो प्रसारण के समय (यदि कारोबारी समय के दौरान भेजा जाता है) या (यदि कारोबारी समय के दौरान नहीं भेजा जाता है तो) अगले कारोबारी समय की शुरुआत में वहाँ प्रसारण के समय के बाद उस स्थान पर जहां फ़ैक्स भेजी गई थी.

बशर्ते कि पक्षकार या ऋणदाताओं के एजेंट को कोई नोटिस या संचार, किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्ति पर ही प्रभावी होगा, जिसके ध्यान में नोटिस या संचार स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है.

इस तरह की सेवा को साबित करने के लिए यह साबित करना पर्याप्त होगा कि व्यक्तिगत डिलीवरी की गई थी या पूर्वदत्त रिकॉर्ड डिलीवरी, पंजीकृत डाक या कूरियर के मामले में, कि इस तरह की सूचना या अन्य लिखित संचार को सही पते पर भेजा और वितरित किया गया था या एक फैक्स संदेश के मामले में, प्रेषक की फैक्स मशीन से कोई गतिविधि या अन्य रिपोर्ट, नोटिस या अन्य लिखित संचार के संबंध में प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें प्राप्तकर्ता की फैक्स संख्या और प्रेषित पृष्ठों की संख्या दर्शाई गई है.

प्रत्येक प्रतिभूति ट्रस्टी, ऋणदाताओं के एजेंट और ऋणदाताओं की सेवा के लिए पता **अनुसूची VI** में निर्दिष्ट है.

6.3 **पृथककरण**

यदि इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय होता है तो शेष प्रावधानों की वैधता, मान्यता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या क्षीण नहीं होगी.

6.4 **शासी कानून**

यह करार सभी उद्देश्यों के लिए भारत के कानूनों के अनुसार शासित और उसी संदर्भ में माना जाएगा.

6.5 **अधिकार अप्रभावित**

इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वित्तीय दस्तावेजों के तहत या किसी भी लागू कानून के तहत रक्षित और अपेक्षित किसी भी ऋणदाता के कानूनी अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने के लिए ऋणदाता इस करार की शर्तों के अनुसार ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए सहमत हैं.

6.6 **करार के लाभ-**

(i) इस करार में कुछ भी ऋणी/गारंटरों/अन्य देनदारों, या किसी अन्य व्यक्ति (यहां वर्णित पक्षकार और उनके उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के अलावा) को इस करार के तहत कोई लाभ या कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार या राहत नहीं देगा. यह करार ऋणदाताओं व उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, समनुदेशितों या हस्तांतरितियों के लिए बाध्यकारी होगा. प्रत्येक ऋणदाता के रूप में, इस करार के लाभ तब समाप्त हो जाएंगे जब ऐसे ऋणदाता को देय राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा.

(ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के अधीन, कोई भी ऋणदाता किसी भी समय किसी एक को या अधिक बैंकों या अन्य संस्थानों या अन्य व्यक्तियों को सौंप सकता है, जिन्हें ऐसे ऋणदाता ने किसी भी वित्तीय दस्तावेज (और शर्तों के अनुसार) के तहत या जैसा भी मामला हो नियुक्त किया है और उस स्थिति में ऐसा कोई भी समनुदेशन या हस्तांतरण स्पष्ट रूप से इस करार की शर्तों के अधीन किया जाएगा और और समनुदेशिती को करार का लाभ तभी मिलेगा जब वह इस अनुबंध के प्रावधानों से सहमत होने के लिए **अनुसूची VII में** दिए गए फॉर्म में पालन के एक विलेख पर हस्ताक्षर करता है. समनुदेशिती के पास वही अधिकार और दायित्व होंगे जो उसके पास होते यदि वह यहां एक पक्ष होता.

(iii) पुनर्रचना या सुधार के दौरान यदि कुछ अतिरिक्त एक्सपोजर के लिए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो नए ऋणदाता इसमें **अनुसूची VII** में परिकल्पित "अनुपालन विलेख" के निष्पादन के अधीन इस करार के अन्य पक्षों की सहमति के अधीन शामिल हो सकते हैं.

6.7 **असंगतता**

इस करार के प्रावधानों और सामान्य ऋण/सुविधा करार, वित्तपोषण दस्तावेजों और लेनदेन दस्तावेज के बीच किसी भी असंगतता की स्थिति में, इस करार के प्रावधान मान्य होंगे.

6.8 **समकक्षों में निष्पादन**

इस करार को कई समकक्षों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, जब ऐसे निष्पादित और वितरित किया जाता है, तो उसे मूल माना जाएगा, लेकिन सभी समकक्ष एकसाथ, एक और समान ही लिखत का गठन करेंगे और ऐसे लिखत [●] द्वारा धारित किए जाएंगे.

6.9 **क्षेत्राधिकार**

ऋणदाताओं के बीच विवाद की स्थिति में, ऋणदाताओं के 3 (तीन) वरिष्ठ अधिकारी, जो उधारकर्ता के खिलाफ अधिकतम बकाया का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे बहुमत से विवाद को हल करेंगे और विवाद के संबंध में ऐसा निर्णय अंतिम और ऋणदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा, जो एमएसएमई के पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए समय-समय जारी / सुधार/ संशोधित /परिशिष्ट पर आरबीआई की रूपरेखा के अधीन होगा.

**6.10** यह करार एमएसएमई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए आरबीआई दिशानिर्देशों और रूपरेखा के अधीन होगा और इसके साथ-साथ किसी भी विसंगति के मामले में इसमें सभी संशोधन/परिशिष्ट/परिवर्तन मान्य होंगे.

**6.11 प्रभावी तिथि :** यह करार पूर्व में ऊपर लिखी गई तारीख को पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा.

**6.12 संशोधन**

इस करार के किसी भी प्रावधान का कोई भी संशोधन लिखित रूप में होगा और केवल तभी मान्य और बाध्यकारी होगा जब उपाबद्ध पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

**"प्रत्येक पृष्ठ के अंत में नीचे दी गई तालिका प्रविष्ट करें"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुसूची I
## ऋणदाताओं का विवरण

1.
2.
3.
4.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

# अनुसूची II

**भाग ए**

1. **<u>ऋणदाताओं और ऋण-सुविधा का विवरण</u>**

| ऋणदाताओं का नाम | राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **मियादी ऋण** | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| -ऋण-सुविधा -II | |
| -ऋण-सुविधा -III | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| - ऋण-सुविधा -II | |
| -ऋण-सुविधा -III | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| -ऋण-सुविधा -II | |
| **कुल** | |

2. **<u>ऋणदाताओं और ऋण-सुविधा का विवरण</u>**

| ऋणदाताओं का नाम | राशि (रु. करोड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **मियादी ऋण** | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| -ऋण-सुविधा -II | |
| -ऋण-सुविधा -III | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| - ऋण-सुविधा -II | |
| -ऋण-सुविधा -III | |
| बैंक - ऋण-सुविधा -I | |
| -ऋण-सुविधा -II | |
| **कुल** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुसूची III प्रतिभूतियों की सूची

ए. सुरक्षित दायित्वों द्वारा संरक्षित किया जाएगा:

ए) उधारकर्ताओं की सभी अचल सम्पत्तियों पर पहला गिरवी और ऋणभार, दोनों वर्तमान और भविष्य में;

बी) ऋणी की सभी मूर्त चल सम्पत्तियों पर पहला ऋणभार सहित चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी स्पेयर, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सभी संपत्ति, दोनों वर्तमान और भविष्य में;

सी) एस्क्रो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) पर पहला ऋणभार जो ट्रस्ट और प्रतिधारण खाता करार के अनुसार खोला जा सकता है, और समय-समय पर इसमें जमा किए गए सभी फ़ंड में या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिनिधित्व करते हुए एस्क्रो खाते में जमा सभी राशि;

डी) ऋणदाताओं की सभी अमूर्त सम्पत्तियों पर पहला ऋणभार, जिसमें सद्भावना, अधिकार और उपक्रम और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है, और वर्तमान संपत्ति को छोड़कर, दोनों वर्तमान और भविष्य में:

ई) प्रतिभूति के रूप में समुदेशन:

i. सभी अधिकार, हक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी ऋणी में और परियोजना दस्तावेजों के तहत, प्रत्येक मामले में संबन्धित पक्षों द्वारा ऐसे परियोजना दस्तावेजों के लिए विधिवत रूप से स्वीकार और सहमति, सभी संशोधित, विविध या पूरक के रूप में समय-समय पर विविध या पूरक.

ii. अधिकार, हक और ब्याज, लाभ, दावे और सभी मंजूरी में और उसके तहत उधारकर्ता की मांग;

iii. सभी अधिकार, हक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें जो भी साख पत्र के तहत और उसके तहत कांट्रैक्टर गारंटी, परिसमापन क्षति और परियोजना दस्तावेजों के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए निष्पादित बॉन्ड सहित;

iv. सभी बीमा अनुबंधों में और उसके तहत ऋणकर्ता के सभी अधिकार, हक़, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;

एफ) व्यक्तिगत गारंटी

जी) कॉर्पोरेट गारंटी

एच) शेयरों को गिरवी रखना

बशर्ते कि ऊपर दिये गए पैराग्राफ ए से एच में निर्धारित बंधक, ऋणभार, एसाइन्मेंट, गिरवी और गारंटी:

i. सभी तरह से ऋणकर्ता के बीच किसी भी वरीयता या प्राथमिकता के बिना एक दूसरे या दूसरों के बीच समान रूप से रैंक करेगा, जब तक कि किसी भी ऋणदाता के पास मूल रूप से कुछ विशेष सुरक्षा न हो और वे अनुभागों/खंडों के बावजूद विशिष्टता को बनाए रखने का इरादा रखते हैं.

ii. दूसरे (द्वितीय) ऋणभार के रुप में उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी ऋण-सुविधाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में प्रभारित करने की अनुमति दी जाएगी.

iii. वाहनों, खरीद वित्त को किराए पर लेने हेतु प्रभारित आस्तियां एवं चालू आस्तियों रहित;

iv. वर्तमान और भविष्य के उधारकर्ता के सभी चालू आस्तियों पर दूसरा प्रभार.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुसूची IV

### प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस का प्रपत्र
### (ऋणदाता का लेटरहेड)

[उधारदाताओं का एजेंट]
[प्रतिभूति ट्रस्टी]

संदर्भ :_____/ प्रवर्तन कार्रवाई सूचना

_____

उपरोक्त खंड का परवर्ती भाग अन्य ऋणदाताओं के लिए विशेषरूप से एक ऋणदाता द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर लागू होगा और विशेष रूप से उधारकर्ता द्वारा उस ऋणदाता को प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया जाएगा .

इस नोटिस की सुपुर्दगी अंतर लेनदार करार के अनुसार, दिनांकित _____ , 20..... ("**समझौता**") उधारकर्ताओं, उधारकर्ताओं के एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी के बीच किया गया है. परिभाषा के बिना यहाँ उपयोग किए गए बड़े अक्षरों का अर्थ अनुबंध में निर्दिष्ट अर्थ होगा.

अनुबंध की धारा 4.2 के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी (प्रवर्तन इच्छुक पक्ष) आपको सूचित करता है कि :

संरक्षित दायित्वों के संबंध में चूक की घटना हुई है. इस तरह के संरक्षित दायित्वों में तेजी लाने के हकदार हैं.

प्रवर्तक का इच्छुक पक्ष नीचे निर्दिष्ट प्रवर्तन कार्रवाई करने का इरादा रखता है:

[नाम]
द्वारा_____
नाम:_____
हक:_____
दिनांक:_____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुसूची V

### निरसन नोटिस का प्रपत्र

[ऋणदाता का लेटरहेड]

[उधारकर्ता का एजेंट]
[प्रतिभूति ट्रस्टी]

संदर्भ: _____/_____ प्रवर्तक कार्रवाई सूचना

इस नोटिस की सुपुर्दगी अंतर लेनदार करार के अनुसार, दिनांकित _____, 20..... ("**समझौता**") उधारकर्ताओं, उधारकर्ताओं के एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी के बीच किया गया है. परिभाषा के बिना यहाँ उपयोग किए गए बड़े अक्षरों का अर्थ अनुबंध में निर्दिष्ट अर्थ होगा.

अनुबंध कि धारा 4.2 के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी (प्रवर्तक इच्छुक पक्ष) अपनी प्रवर्तन कार्रवाई नोटिस दिनांकित_____ को रद्द करता है.

(संस्था का नाम)
द्वारा _____ नाम: _____
हक: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

# अनुसूची VI

## प्राप्यकर्ताओं की सूची

**<u>उधारकर्ता के लिए:</u>**

.....

**ध्यान दें** : श्री ....., कार्यकारी अध्यक्ष / एमएमडी/ निदेशक

**पता : .....**

**फ़ैक्स** : .....

**<u>ऋणदाताओं के लिए</u> :**

**.....बैंक के लिए**

**पता: .....**

**ध्यान दें : .....**

**फ़ैक्स : .....**

**.....बैंक के लिए**

**ध्यान दें : .....**

**पता :.....**

**फ़ैक्स :.....**

**कृते..... बैंक**

**पता :.....**

**ध्यान दें: .....**

**फ़ैक्स: .....**

**<u>कृते उधारकर्ता का एजेंट</u>**

**के लिए .....**

**बैंक ध्यान दे :.....**

**पता :.....**

**फ़ैक्स:.....**

**<u>प्रतिभूति ट्रस्टी के लिए</u>**

**के लिए .....**

**ध्यान दें :.....**

**पता:.....**

**फ़ैक्स:.....**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक | .....बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## अनुसूची VII

## अनुपालन का दस्तावेज़

यह विलेख दिनांकित ( _____), (_____) 20_____ के **[अंतर क्रेडिट करार]** का पूरक है, जो ऋणदाताओं का एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी द्वारा उसके बीच किया गया है.

इस विलेख में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अंतर लेनदार करार के तहत उनके लिए उत्तरदायी है.

[नए ऋणदाता का नाम] ("**नया ऋणदाता**") एतद्वारा एक दूसरे के साथ सहमत होता है जो अंतर लेनदार करार का एक पक्ष है या बनता है. इसके बाद की तारीख से यह अंतर लेनदार करार से ऋणदाता के रूप में मानो वह उस क्षमता में अंतर लेनदार समझौते का एक मूल पक्ष बाध्य होगा.

अंतर लेनदार करार की धारा 6.2 के उद्देश्य के लिए नए ऋणदाता को नोटिस के लिए निम्न हैं:

_____

_____

अंतर लेनदार करार की अनुसूची I को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

अंतर लेनदार करार की अनुसूची II को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

(मुहर के तहत निष्पादन)
(या उपयुक्त निष्पादन खंड)

हमने इसकी पुष्टि की:

..... सीमित
(मुहर के तहत निष्पादन)
(या उपयुक्त निष्पादन खंड)

कृपया प्रतिभूति ट्रस्टी का नाम डालें
(मुहर के तहत निष्पादन)
(या उपयुक्त निष्पादन खंड)

ऋणदाताओं, ऋणदाताओं के एजेंट और प्रतिभूति ट्रस्टी ने अपने संबन्धित अधिकारियों के द्वारा इसे निष्पादन करने का कारक बना दिया है जैसा की इसके बाद दिखाई दे रहा है.

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया**.

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया.**

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया.**

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया.**

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया.**

इसमें लिखित **उधारकर्ता, ..... बैंक** द्वारा
अपने_____, और
प्राधिकृत अधिकारी श्री_____द्वारा
**हस्ताक्षरित और सौंपा गया.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक | ..... बैंक |
| | | ऋणदाता का एजेंट | प्रतिभूति ट्रस्टी | |

## देनदार-लेनदार करार

**यह करार** इस दिवस को..... दो हज़ार.....(20.....) को ..... पर निष्पादित किया जाता है.

**द्वारा**

**श्री/श्रीमती** .....आयु..... वर्ष के पुत्र/पुत्री/पत्नी द्वारा, ..... में रहने वाले, मैसर्स..... के नाम से प्रोपराइटर/ प्रोपराइटिक्स के रूप में कारोबार कर रहे ..... उनके/उनकी/इनके स्थित कारोबार स्थल पर.

**या**

**मैसर्स** ....., भागेदारी अधिनियम, 1932/कंपनी के अर्थ के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत भागेदारी फ़र्म, जिनका कारोबार/पंजीकृत कार्यालय..... में है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके साझेदार/निदेशक, श्री/श्रीमती .....जिनका निवास स्थल.....
(इसके उपरांत "उधारकर्ता" कहा जाता है, अभिव्यक्ति हेतु जहां कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, उनके/उनकी/इनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, एटॉर्नी और समय-समय पर साझेदार शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो.)

**तथा**

**श्री/श्रीमती** ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....आयु .....वर्ष, ..... में निवास कर रहे हैं. और/या श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... वर्ष..... की आयु में, ..... में निवास कर रहे हैं, मैसर्स..... के नाम पर प्रोपराइटर/प्रोपराइटिक्स के रूप में कारोबार कर रहे हैं, उनका/उनकी/इनके कारोबार का स्थान ..... है.

**और / या**

**मैसर्स** ..... साझेदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ के अंतर्गत एक साझेदारी फर्म/कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत कंपनी, जिसका कारोबार/पंजीकृत कार्यालय का स्थान .....है. इसके भागीदार/निदेशक आर श्री/श्रीमती....., ..... में निवास कर रहे हैं

(इसके बाद "गारंटर**(ओं)** " कहा जाता है, अभिव्यक्ति हेतु जहां कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, उनके/उनकी/इनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, एटॉर्नी और समय-समय पर साझेदार शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो.)

**पक्ष में**

ए ....., [बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ [बैंकिंग कंपनियों अधिनियम 1980 (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) के तहत गठित, 1980]/ [कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत एक निगमित निकाय]/ [बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी) में अभिप्रेत एक बैंकिंग कंपनी/ [भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित], और इसका पंजीकृत/प्रमुख/कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है ....., (इसके उपरांत “ए बैंक” कहा जाता है) ", जो अभिव्यक्ति हेतु, जब तक कि वह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, पहले भाग के उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं);

**तथा**

बी....., [बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित]/ [कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय]/[ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी /[भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित], और इसका पंजीकृत/प्रधान/कॉर्पोरेट कार्यालय .....है, ( इसके उपरांत "बी बैंक" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति हेतु, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं) **दूसरे भाग** में;

**तथा**

सी....., [बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित]/ [कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय]/[ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी /[भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित], और इसका पंजीकृत/प्रधान/कॉर्पोरेट कार्यालय .....है, ( इसके उपरांत "सी बैंक" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति हेतु, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं) **तीसरे भाग** में;

**तथा**

डी....., [बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित]/ बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित]/ [कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय]/[ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अर्थ के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी /[भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित], और इसका पंजीकृत/प्रधान/कॉर्पोरेट कार्यालय .....है, ( इसके उपरांत "डी बैंक" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति हेतु, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं) **चौथे भाग** में ;

'ए बैंक', 'बी बैंक', 'सी बैंक' और; 'डी बैंक' (इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक" कहा जाता है, जिसे जहां कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशित किए गए शब्दों को शामिल माना जाएगा), उधारकर्ता को कुछ सुविधाएं (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) प्रदान की गई हैं.

"**उधारकर्ता"** और " **गारंटर"** को इसके बाद सामूहिक रूप से पक्षों के रूप में संदर्भित किया गया है.

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, एकल को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल हैं. यहां स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं कि किसी भी पंजीकृत शब्द का अर्थ वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत इसके लिए प्रदान किया जाएगा. **[नोट**: यदि विभिन्न प्रासंगिक वित्त पोषण दस्तावेजों के तहत परस्पर विरोधी परिभाषाएं आती हैं, तो आवश्यकता अनुरूप परिभाषित/उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए]

जबकि उधारकर्ता ने ऋणकर्ता, बैंकों, प्रतिभूति और संविदात्मक सुविधा प्रदाताओं, जैसा भी मामला हो **("वित्तीयन दस्तावेज")**, द्वारा और उनके बीच दर्ज किए गए वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों पर बैंकों से विभिन्न वित्तीय सहायता ("**सुविधाएं")** प्राप्त की हैं.

और जबकि अपने कारोबार की विफलता की आशंका के कारण, या विभिन्न कारणों से ऋणी द्वारा अपनी निवल संपत्ति के पर्याप्त क्षरण का सामना करना पड़ रहा है, उधारकर्ता उन सुविधाओं के तहत बकाया देय राशि चुकाने में असमर्थ है, जो अर्जित की गई हैं, और बकाया है और बैंक को देय है. इसलिए, पक्षों ने सुविधाओं के पुनर्रचना के लिए बैंकों से संपर्क किया है.

और जबकि पक्षों के अनुरोध पर, बैंकों ने वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, सूक्ष्म, लघु के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर आरबीआई ढांचे के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्राप्त सुविधाओं के संबंध में पुनर्रचना की एक योजना पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है, और मध्यम उद्यम ("**एमएसएमई**"), समय-समय पर जारी /आशोधित /संशोधित /पूरक हैं इसलिए, पक्ष इस समझौते को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं.

**अब यह देनदार-लेनदार करार गवाह** है कि, उपरोक्त प्रस्तावना/भूमिका को ध्यान में रखते हुए, पक्षों द्वारा, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है.

1) उधारकर्ता के कारोबार की विफलता की आशंका, सुविधाओं के तहत बकाया भुगतान करने में असमर्थता या उधारकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली निवल संपत्ति के पर्याप्त क्षय की आशंका के कारण सुविधाओं की पुनर्रचना के लिए बैंकों द्वारा अनुरोध किया गया है.

2) पक्षकारों को अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल सभी आवश्यक जानकारी समय-समय पर बैंकों को प्रदान करनी होगी, जिसमें एक व्यापक, पारदर्शी और प्राप्त करने योग्य कारोबार योजना, उद्योग विश्लेषण और वास्तविक नकदी प्रवाह अनुमानों को निर्दिष्ट करना शामिल है.

3) बैंकों को वित्तीय, तकनीकी या कानूनी सलाहकारों सहित ऐसे सलाहकारों को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिन्हें बैंक उचित समझें, ताकि बैंकों को भुगतान के लिए पक्षों की लागत और देनदारियों पर पुनर्रचना की एक व्यवहार्य योजना तैयार करने और विकसित करने में ऐसे सलाहकारों को शुल्क भुगतान करने में सहायता मिल सके.

4) पक्ष ऐसे सलाहकारों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, और उन्हें सभी आवश्यक जानकारी शीघ्रता और तत्परता से प्रदान करेंगे.

5) पक्ष इस बात से सहमत हैं कि जिस अवधि के दौरान पुनर्रचना योजना तैयार या विचाराधीन है या कार्यान्वयन के अधीन है, वे बैंकों की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे: (ए) अतिरिक्त ऋण का निर्माण या ग्रहण करना; (बी) अपने कारोबार के सामान्य क्रम में उचित खर्चों को छोड़कर कोई निवेश या कोई खर्च नहीं करना; (सी) निधियों को स्वीकृत किए जाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए विपथन/ प्रयोग करना; (डी) किसी भी संपत्ति (मूर्त या अमूर्त) का हस्तांतरण, अलगाव, या निपटान; (ई) किसी अन्य व्यक्ति के दायित्वों की गारंटी; (एफ) प्रबंधन की स्थापना करना, या इसके निदेशक मंडल की संरचना में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित करना; (जी) अपने शेयरधारकों के शेयरधारिता स्वरूप सहित अपनी पूंजी संरचना में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित करना; (एच) अपनी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों (बैंक खातों या प्राप्तियों में किसी भी शेष राशि सहित सीमित नहीं हैं) के संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क, बंधक या कोई अन्य प्रतिभूति हित बनाना, इसके दायित्वों को छोड़कर यदि कोई है तो पुनर्रचना की योजना के तहत परिकल्पित सुविधाओं के संबंध में प्रतिभूति हित का होना; (आइ) लेनदारों को किसी भी ऋण चुकौती सहित कोई भी अधिमानी भुगतान करना; (जे) अपनी मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गतिविधि में संलग्न होना; (के) किसी भी विदेशी मुद्रा, स्वैप, या व्युत्पन्न लेनदेन में शामिल होना; (एल) शेयरधारकों को कोई भुगतान करना, चाहे वह लाभांश, मोचन या इक्विटी, अधीनस्थ ऋणों के पुनर्भुगतान, या अन्यथा के रूप में हो; और (एम) अपने संस्थापन प्रलेख या संस्था के अंतर्नियम में संशोधन या आशोधन करते हैं.

6) पक्ष बैंकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेंगी या आगे नहीं बढ़ेंगी और पुनर्रचना के लिए बैंकों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद और पुनर्रचना की योजना के चालू रहने के दौरान एक ठहराव की स्थिति का पालन करेंगी.

7) पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा निदेशक/साझेदारी से निर्धारित प्रपत्र में एक पत्र प्राप्त करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि वे अपने निदेशक पद से इस्तीफा नहीं देंगे/साझेदारी से सेवानिवृत्त नहीं होंगे, या बैंकों से अनुरोध किए जाने के बाद साझेदारी को भंग नहीं करेंगे. पक्षों द्वारा सुविधाओं के पुनर्रचना के लिए और उस अवधि के दौरान जब पुनर्रचना के अनुरोध पर विचार/कार्यान्वयन किया जा रहा है.

8) पक्षकार उन्हें राहत वचन पत्र के रूप में घोषित करने के लिए सरकार को संदर्भित नहीं करेंगे, या इसके समापन, विलय, विघटन, परिसमापन आदि के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे या पुनर्रचना के लिए योजना अवधि के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किसी भी राहत / समाधान के लिए संपर्क नहीं करेंगे.

9) पक्षों को सुविधाओं के तहत बकाया देयता की पुष्टि करने और स्वीकार करने वाले ऐसे दस्तावेज दर्ज करने होंगे, जब कभी भी बैंकों द्वारा आवश्यक हो और जैसा कि बैंकों द्वारा आवश्यक हो.

10) पक्षों को हर समय बैंकों द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना योजना के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा.

11) पक्ष इस बात से सहमत हैं कि, जैसा कि पुनर्रचना की योजना के तहत प्रदान किया गया है, बैंक आंशिक रूप से, या अपनी पूरी बकाया सुविधाओं को हस्तांतरित या समनुदेशित कर सकते हैं.

12) पक्ष सहमत हैं कि पुनर्रचना के दौरान बनाए गए प्रतिभूति हितों और बैंकों/ प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में उनके द्वारा दर्ज किए गए वित्तीय दस्तावेज़ प्रभावी रहेंगे, और उस संबंध में पूर्ण और अंतिम निपटान तक उपलब्ध रहेंगें. सुविधाओं के लिए बैंकों को इस तथ्य के बावजूद कि गई पुनर्रचना की योजना विफल हो गई है या नहीं और बैंकों ने उधारकर्ता की मूल देनदारियों को बहाल करने का निर्णय किया है जिसे या तो माफ कर दिया गया या त्याग दिया गया है.

13) पक्ष इस समझौते के नियमों और प्रावधानों, बैंकों द्वारा जारी किसी भी आदेश और निर्देशों और पुनर्रचना की योजना के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे.

14) यह करार भारत के कानूनों के अनुसार शासित, समझा और लागू किया जाएगा, और पूरी तरह से लागू रहेगा, और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा.

15) अदालतों [●] के पास इस समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में एक विशेष क्षेत्राधिकार होगा. बैंकों/ प्रतिभूति ट्रस्टी/सुविधा एजेंट को किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में जाने की स्वतंत्रता होगी, और इसके पक्षकारों को उपरोक्त क्षेत्राधिकार पर कोई आपत्ति नहीं होगी.

16) समय-समय पर जारी/आशोधित/संशोधित/पूरक एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्रचना पर आरबीआई ढांचे के अनुसार गठित समिति में अधिकांश ऋणदाताओं (मूल्य से 75% और संख्या के हिसाब से 50%) पर सहमति के आधार पर उधारकर्ता के खाते की पुनर्रचना और सुधार के साथ आगे बढ़ने के लिए विचार किया जाएगा. इस समझौते के प्रावधानों और एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर आरबीआई ढांचे के बीच विवाद के मामले में, उपरोक्त ढांचे के प्रावधान लागू होंगें.

17) पार्टियां एतद्द्वारा बैंकों द्वारा तय की गई सुविधाओं के पुनर्गठन के दौरान उनके द्वारा किए गए बलिदानों के लिए बैंकों को पुन: क्षतिपूर्ति करने का वचन देती हैं.

**इसके साक्ष्य में,** पार्टियां ने इन उपहारों को ..... की उपस्थिति में उपर्युक्त उल्लिखित ..... दिन, माह, वर्ष में निष्पादित किया है.

**उधारकर्ता:**

**गारेंटर:**

**संदर्भ:**


1. आरबीआई परिपत्र की अधिसूचना सं.: RBI/ 2015-16/187 DBR. BP.BC.No. 41/21.04.048/2015-16 दिनांक 24-09-2015 (www.rbi.org.in).

2. आरबीआई परिपत्र की अधिसूचना सं.: FIDD.MSME & NFS.BC.No.21/06.02.31/2015-16 दिनांक 17-03-2016 (www.rbi.org.in).

3. ऋण शक्तियों के प्रत्यायोजन पर नीति (आईसी क्र. 1873-2020 दिनांक 05.03.2020).

4. एमएसएमई के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास हेतु ढांचा पर नीति 2020-21 (आईसी क्र. 1698-2019 दिनांक 25.09.2019).

5. आरबीआई परिपत्र संदर्भ सं. RBI/2018-19/203 DBR. No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019.

6. आरबीआई परिपत्र RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01. 2019, RBI/2019-20/160 DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC.4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020, RBI/ 2021-22/32 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 एवं RBI/2021-22/47 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021.

7. सीएमआरडी/सीएमसीसी द्वारा अनुदेश परिपत्र क्र. 1445-2019 दिनांक 15.01.2019, आईसी क्र. 2169-2020 दिनांक 19.08.2020, आईसी क्र. 2622-2021 दिनांक 25.05.2021 एवं आईसी क्र. 2637-2021 दिनांक 09.06.2021: एमएसएमई क्षेत्र अग्रिमों का एकबारगी पुनर्गठन.